

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद के 1916 की अधिसूचना संख्या 225 द्वारा स्थापित)

सूचना पुस्तिका

स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पीईटी)–2010

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2010–11 के लिए नीचे वर्णित विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मई 20, 2010 से जून 09, 2010 तक की अवधि में स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाएँ ('पीईटी') 2010 के लिए आयोजित की जायेंगी। पीईटी की मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे, बशर्ते अभ्यर्थी नीचे वर्णित वांछित पात्रताएँ पूर्ण करता हो, और पाठ्यक्रम विशेष में सीटें उपलब्ध हों जिसके लिए उसने आवेदन किया है और प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। पाठ्यक्रमों को 'सामान्य पाठ्यक्रम', 'व्यावसायिक पाठ्यक्रम' तथा 'विशेष पाठ्यक्रम' में विभाजित किया गया है।

1. अध्ययन के पाठ्यक्रम, न्यूनतम पात्रता शर्तें एवं पाठ्यक्रम की अवधि

टिप्पणी : अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे खंड 2 के अन्तर्गत दिये गये अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0/शा0वि0 अभ्यर्थियों के लिए वर्णित न्यूनतम पात्रता शर्तों में अनुमन्य शिथिलताओं को एवं खंड 3 में न्यूनतम वर्णित अर्हता शर्तों के सम्बन्ध में टिप्पणियों को भली भांति पढ़ें।

अ . सामान्य पाठ्यक्रम

(1) संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय :

(अ) आचार्य वेद (शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद), व्याकरण, ज्योतिष (ज्योतिष गणित, ज्योतिष फलित), धर्मशास्त्र, मीमांसा, वेदान्त, न्यायवैशेषिक, प्रचीनन्याय: अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत सम्बन्धित विषय में शास्त्री स्तर पर (सभी तीन वर्षों में किये गये अध्ययन) अध्ययन किये गये सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंक के साथ शास्त्री (आनर्स) / शास्त्री उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

(ब) आचार्य सांख्ययोग, पुराणेतिहास, साहित्य: अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत सम्बन्धित विषय में शास्त्री स्तर पर (अध्ययन के सभी तीन वर्षों में) अध्ययन किये गये सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ शास्त्री (आनर्स) / शास्त्री उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

अथवा

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी. ए. स्तर पर अध्ययन किये गये सभी विषयों सहित एक विषय के रूप में संस्कृत (सभी तीन वर्षों में) के साथ कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित बी. ए. (आनर्स) / बी. ए. उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

(स) आचार्य बौद्ध दर्शन: अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत सम्बन्धित विषय में शास्त्री स्तर पर (अध्ययन के सभी तीन वर्षों में) अध्ययन किये गये सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ शास्त्री (आनर्स) / शास्त्री उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णांक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

अथवा

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी. ए. स्तर पर अध्ययन किये गये सभी विषयों सहित एक विषय के रूप में संस्कृत/पाली (सभी तीन वर्षों में) अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी. ए. (आनर्स)/बी. ए. उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

(द) आचार्य जैन दर्शन:

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत सम्बन्धित विषय में शास्त्री स्तर पर (अध्ययन के सभी तीन वर्षों में) अध्ययन किये गये सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ शास्त्री (आनर्स)/शास्त्री उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

अथवा

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी. ए. स्तर पर अध्ययन किये गये सभी विषयों सहित एक विषय के रूप में संस्कृत/प्राकृत (सभी तीन वर्षों में) के साथ कुल प्राप्तांकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित बी. ए. (आनर्स)/बी. ए. उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

(य) आचार्य धर्मागम :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत शास्त्री स्तर पर सम्बन्धित विषय में से एक विषय के रूप में धर्मागम/योगतंत्र/आगम/शैवागम (अध्ययन के सभी तीन वर्षों में) के साथ अंकों में न्यूनतम 50% अंकों सहित शास्त्री (आनर्स)/शास्त्री उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

अथवा

(अ) शास्त्री (आनर्स)/शास्त्री/बी. ए. (आनर्स)/बी. ए. स्तर पर अध्ययन किये गये सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ शास्त्री (आनर्स)/शास्त्री/बी. ए. (आनर्स)/बी. ए., केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो, एवं (ब) कुल प्राप्तांकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित आगमतंत्र में द्विवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(2) कला संकाय :

(अ) एम. ए. बंगाली, अंग्रेजी, हिन्दी, कन्नड[®], नेपाली, पाली, उर्दू संस्कृत**, प्रा.भा.इ.सं. एवं पुरा.⁺⁺, (प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व), दर्शनशास्त्र, भूगोल, सांख्यिकी, गणित, गृह विज्ञान :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत सम्बन्धित विषय में बी. ए. स्तर पर अध्ययन किये गये सभी विषयों के कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी. ए. (आनर्स)/बी. ए. उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो। जिस विषय में प्रवेश वांछित हो, बी. ए. (आनर्स) स्तर पर उस विषय में (आनर्स) अथवा बी. ए. स्तर पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अध्ययन किया होना आवश्यक है।

टिप्पणी : [®] इस सत्र की अवधि में एम. ए. कन्नड में प्रवेश नहीं किया जायेगा।

** शास्त्री (आनर्स) उपाधि वाले भी एम. ए. संस्कृत में प्रवेश के पात्र होंगे।

⁺⁺ बी. ए. स्तर पर सभी तीन भागों में एक विषय के रूप में प्राचीन इतिहास के साथ बी. ए. (आनर्स)/बी. ए. उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण भी एम. ए. प्रा.भा.इ.सं. एवं पुरा. में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

एम. ए. सांख्यिकी में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में गणित का अध्ययन होना आवश्यक है।

(ब) एम. ए. लिंगुइस्टिक्स (भाषा विज्ञान) :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर अध्ययन किये गये सभी विषयों में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

वह अन्यर्थी जो किसी भाषा-साहित्य, दर्शनशास्त्र, एन्थ्रोपोलॉजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गणित, संगणक विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर प्रत्येक में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि (न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक के उपरान्त) प्राप्त किया हो, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(स) एम. ए. अरेबिक, चाइनीज[^], फ्रेंच, जर्मन, मराठी, परशियन, रशियन[^], तेलगु : अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

उपरोक्त (अ) में वर्णितानुसार
अथवा

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत सम्बन्धित विषय (अरबी/चीनी[^]/फ्रांसीसी/जर्मन/मराठी/रुसी[^]/तेलगु) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा होने के साथ बी. ए. और डिप्लोमा, दोनों स्तरों पर, कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी. ए. (आनर्स)/बी. ए. उपाधि।

टिप्पणी : ^ इस सत्र की अवधि में एम. ए. रशियन एवं चाइनीज में प्रवेश नहीं किये जायेंगे।

(द) एम. ए. इंडियन फिलासॉफी एण्ड रीलिजन :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक बी. ए. स्तर पर अध्ययन किये गये सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी. ए. (आनर्स)/बी. ए. उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो। दर्शनशास्त्र/धार्मिक अध्ययन आनर्स विषय अथवा जिसे बी. ए. स्तर पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अवश्य अध्ययन किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति अथवा समकक्ष परीक्षा के अन्तर्गत धार्मिक अध्ययन में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी. ए. (आनर्स)/बी. ए. उपाधि।

अथवा

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ इस विश्वविद्यालय का भारतीय दर्शनशास्त्र एवं धर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जिसमें स्नातक एवं डिप्लोमा स्तरों पर प्रत्येक में पूर्णयोग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों।

(य) एम. ए. हिस्ट्री आफ आर्ट :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक (बी. ए.) स्तर पर अध्ययन किये गये सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी. ए. (आनर्स)/बी. ए. उपाधि, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

बी. ए. (आनर्स) स्तर पर कला इतिहास/प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व/इतिहास/चित्रकारी आनर्स विषय के रूप में अवश्य हो अथवा बी. ए. स्तर पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी. ए. (आनर्स)/बी. ए. उपाधि एवं कला इतिहास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जिसमें बी. ए. और डिप्लोमा स्तर पर प्रत्येक में पूर्णयोग में न्यूनतम 50% प्राप्तांक हो।

(3) सामाजिक विज्ञान संकाय :

एम. ए अर्थशास्त्र, इतिहास⁺, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान⁺⁺ : अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)
न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी. ए. (आनर्स)/बी. ए./बी. एससी. (आनर्स)/बी. एससी. स्तरों पर अध्ययन किये गये सभी विषयों सहित कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी. ए./बी. एससी.,

केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो। जिस विषय में प्रवेश अपेक्षित है उसे स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अध्ययन अवश्य किया गया हो।

टिप्पणी : ⁺ कोई अभ्यर्थी जिसने एक विषय के रूप में प्राचीन इतिहास के साथ बी. ए. (आनर्स) / बी. ए. उत्तीर्ण किया हो, वह एम. ए. इतिहास पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र नहीं है, परन्तु, वह कला संकाय में प्रा.भा.इ.सं. एवं पुरा. में एम. ए. के लिए आवेदन कर सकता है।

⁺⁺ एक अभ्यर्थी जिसने मनोविज्ञान एक आनर्स विषय के रूप में अथवा बी. एससी. स्तर पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अध्ययन करने के साथ बी. एससी. (आनर्स) / बी. एससी. उत्तीर्ण हो, एम. एससी. मनोविज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र है।

(4) वाणिज्य संकाय :

एम. कॉम्.

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी. कॉम्. (आनर्स) / बी. कॉम्. स्तरों पर अध्ययन किये गये सभी विषयों में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.कॉम्., केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो।

(5) विज्ञान संकाय :

(अ) एम. एससी. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर साइंस[#], भूगोल, गणित, सांख्यिकी, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत जिसमें विज्ञान विषयों (बी. एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों को संज्ञान में लेते हुए) में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों। जिस विषय में प्रवेश अपेक्षित हो उसमें बी. एससी. स्तर पर आनर्स विषय हो / स्नातक स्तरों पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। यद्यपि, एम. एससी. वनस्पति विज्ञान / प्राणि विज्ञान में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के पास स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार, एम. एससी. सांख्यिकी में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के पास स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में गणित होना आवश्यक है।

टिप्पणी : [#] अभ्यर्थी का स्नातक के सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस का अध्ययन किया होना आवश्यक है। जिन्होंने अन्य विषय जैसे कम्प्यूटर एप्लिकेशन (संगणक अनुप्रयोग), इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (सूचना प्रौद्योगिकी) इत्यादि उत्तीर्ण किये हैं, प्रवेश के पात्र नहीं हैं।

(ब) एम. एससी. बायोकेमेस्ट्री :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत जैवरसायन में बी. एससी. (आनर्स) / बी. एससी. के साथ स्नातक पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों में जैवरसायन एक विषय के रूप में हो, और विज्ञान विषयों (बी. एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों को संज्ञान में लेते हुए) में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों।

अथवा

बी. एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत रसायन विज्ञान / वनस्पति विज्ञान / प्राणि विज्ञान में बी. एससी. (आनर्स) / बी. एससी. उपाधि, जिसमें विज्ञान विषयों (बी. एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों को संज्ञान में लेते हुए) में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किया हो। अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर कम से कम दो वर्षों के लिए निम्नलिखित विषयों में से किसी दो का अध्ययन अवश्य किया हो, वे विषय हैं – रसायन विज्ञान, जैवरसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कार्यिकी, सूक्ष्मजैविकी, जैवप्रौद्योगिकी, औद्योगिक सूक्ष्मजैविकी।

(स) एम. एससी. (टेक.) जीओफिजिक्स, जीओलॉजी :

अवधि : (3 वर्ष : 6 सेमेस्टर)

एम. एससी. (टेक.) जीओफिजिक्स के लिए :

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी. एससी. (आनर्स) / बी. एससी. उपाधि के साथ विज्ञान विषयों (बी. एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों को संज्ञान में लेते हुए) भौतिक विज्ञान, गणित और एक अन्य विज्ञान विषय के साथ कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किया हो।

एम. एससी. (टेक.) जीओलॉजी के लिए :

अवधि : (3 वर्ष : 6 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत विज्ञान विषयों (बी. एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों को संज्ञान में लेते हुए) में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी. एससी. (आनर्स)/बी. एससी.। बी. एससी. (आनर्स) स्तर पर भू-गर्भ विज्ञान एक आनर्स विषय के रूप में अवश्य हो/स्नातक स्तर पर सभी तीन वर्षों में एक विषय के रूप में अध्ययन किया हो।

ब. व्यावसायिक पाठ्यक्रम

(1) चिकित्सा विज्ञान संस्थान:

एम. एससी. हेल्थ स्टैटिस्टिक्स :

अवधि : (2 वर्ष)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी. एससी. (आनर्स)/बी. एससी. जिसमें विज्ञान विषयों (बी. एससी. पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों को संज्ञान में लेते हुए) में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों। बी. एससी. (आनर्स) स्तर पर सांख्यिकी एक आनर्स विषय के रूप में/बी. एससी. स्तर पर सभी तीन भागों में एक विषय के रूप में अध्ययन अवश्य किया हो।

(2) कृषि विज्ञान संस्थान:

एम. एससी. (एग्री.) (मास्टर आफ एग्रीकल्चर साइंस): एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स; एग्रोनॉमी; एनीमल हसबेन्डरी एण्ड डेयरी साइंस; इन्टेमोलॉजी एण्ड एग्रीकल्चरल जूलॉजी; एक्सटेंसन एजुकेशन; जेनेटिक्स एण्ड प्लांट ब्रीडिंग; हार्टिकल्चर; माइकोलाजी एण्ड प्लांट पैथोलाजी; प्लांट फिजियोलाजी; स्वायल साइंस एण्ड एग्रीकल्चरल केमेस्ट्री:

अवधि : (2 वर्ष)

(अ) इस विश्वविद्यालय से चार वर्षीय बी. एससी. (कृषि) अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण हो, और (ब) पारम्परिक प्रणाली के अन्तर्गत कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंक अथवा कोर्स केडिट प्रणाली के अन्तर्गत $2.5/4$, $3.5/5$, $4.0/6$ तथा $6.0/10$ का ओजीपीए (OGPA) प्राप्त किया हो।

(3) दृश्य कला संकाय :

एम.एफ.ए. पैटेंग, एप्लाइड आर्ट्स, प्लास्टिक आर्ट्स, पॉटरी एण्ड सिरेमिक्स, टेक्सटाइल डिजाइन :

अवधि : (2 वर्ष)

सम्बन्धित विषय में (10+2+4 पद्धति या न्यूनतम 10+5 पद्धति) में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंक के साथ बी.एफ.ए. उत्तीर्ण हो।

(4) मंच कला संकाय :

(अ) एम. म्यूज़ वोकल /इन्स्ट्रूमेंटल (सितार, वायलिन, बाँसुरी, तबला) :

अवधि: (2 वर्ष)

इस विश्वविद्यालय से कंठ संगीत/वाद्य संगीत (सितार, वायलिन, बाँसुरी या तबला) में बी. म्यूज़. अथवा किसी मान्य विश्वविद्यालय से समकक्ष अर्ह परीक्षा जिसमें प्रायोगिक संगीत (म्यूजिक प्रैक्टिकल) में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों।

अथवा

इस विश्वविद्यालय से न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी. ए. (आनर्स)/बी. ए. उपाधि के साथ एक विषय के रूप में संगीत या किसी मान्य विश्वविद्यालय से समकक्ष अर्ह परीक्षा जिसमें प्रायोगिक संगीत (म्यूजिक प्रैक्टिकल) में न्यूनतम 50% अंकों के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। बी. ए. (आनर्स) स्तर पर संगीत एक आनर्स विषय अवश्य हो/स्नातक स्तर के सभी तीन भागों में एक विषय के रूप में अध्ययन अवश्य किया हो।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत कोई भी स्नातक उपाधि, बशर्ते अभ्यर्थी ने अग्रलिखित परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा भी उत्तीर्ण करने के साथ-साथ प्रायोगिक संगीत (म्यूजिक प्रैक्टिकल) में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों :

(अ) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा। (ब) भातखण्डे संगीत विद्यालय, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा। (स) मध्य प्रदेश सरकार, म0प्रो की संगीत रत्न परीक्षा। (द) शंकर गन्धर्व विद्यालय की संगीत विशारद परीक्षा। (य) ए.बी.जी.एम.वी. मण्डल, मुम्बई की संगीत विशारद परीक्षा। (र) इन्दिरा कला संगीत

विद्यालय, खैरागढ़ की संगीत विद् परीक्षा। (ल) राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर की बी. म्यूज. (प्रभाकर) परीक्षा।

(ब) एम. म्यूज डान्स : कथक / भरत नाट्यम् :

अवधि : (2 वर्ष)

इस विश्वविद्यालय से नृत्यः कथक / भरत नाट्यम् में बी. म्यूज. अथवा किसी मान्य विश्वविद्यालय से समकक्ष अर्ह परीक्षा जिसमें प्रायोगिक संगीत (म्यूजिक प्रैविटकल) में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों।

अथवा

बी.पी.ए./बी. ए.* या किसी मान्य विश्वविद्यालय से प्रायोगिक नृत्य (डान्स प्रैविटकल) में न्यूनतम 50% प्राप्तांकों सहित मुख्य विषय के रूप में नृत्य के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत कोई भी स्नातक उपाधि, बशर्ते अभ्यर्थी ने अग्रलिखित परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा भी उत्तीर्ण करने के साथ—साथ प्रायोगिक नृत्य (डान्स प्रैविटकल) में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों :

(अ) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर (नृत्य) परीक्षा। (ब) भातखण्डे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद (नृत्य) परीक्षा। (स) भातखण्डे संगीत संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय), लखनऊ की संगीत प्रबुद्ध (नृत्य) परीक्षा। (द) इन्दिरा कला संगीत विद्यालय, खैरागढ़ की विद् (नृत्य) परीक्षा। (य) वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान की उत्तमा (नृत्य) परीक्षा। (र) ए.बी.जी.एम.वी. मण्डल, मुम्बई की संगीत विशारद (नृत्य) परीक्षा। (ल) कला क्षेत्र, चेन्नई का पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण।

* केवल उन विश्वविद्यालयों के लिए जो केवल नृत्य में उपाधि प्रदान करते हैं।

(स) एम. म्यूजिकोलॉजी :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

इस विश्वविद्यालय से कंठ संगीत/वाद्य संगीत (सितार, वायलिन, बाँसुरी या तबला) में बी. म्यूज. अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष अर्ह परीक्षा, जिसमें सैद्धान्तिक संगीत के साथ—साथ प्रायोगिक संगीत में भी न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों।

अथवा

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा में बी. ए. (आनर्स) / बी. ए. के साथ किसी मान्य विश्वविद्यालय से बी. म्यूज. (गायन या वाद्ययंत्र – तार वाले या वायु वाले/या तबला जैसे), जिसमें सैद्धान्तिक के साथ—साथ प्रायोगिक संगीत में भी न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत कोई भी स्नातक उपाधि, बशर्ते अभ्यर्थी ने अग्रलिखित परीक्षाओं में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ—साथ सैद्धान्तिक संगीत में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों :

(अ) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा। (ब) भातखण्डे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा। (स) मध्य प्रदेश सरकार, म.प्र. की संगीत रत्न परीक्षा। (द) शंकर गन्धर्व विद्यालय की संगीत विशारद परीक्षा। (य) ए.बी.जी.एम.वी. मण्डल, मुम्बई की संगीत विशारद परीक्षा। (र) इन्दिरा कला संगीत विद्यालय, खैरागढ़ की संगीत विद् परीक्षा। (ल) राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर की बी.म्यूज. (प्रभाकर) परीक्षा।

(५) शिक्षा संकाय :

(अ) एम. एड. (मास्टर आफ एजुकेशन) :

अवधि : (1 वर्ष : 2 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक के साथ—साथ बी. एड./बी. एड. (स्पेशल) उत्तीर्ण तथा बी. एड./बी. एड. (स्पेशल) में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों।

अथवा

कोई भी स्नातकोत्तर उपाधि के साथ—साथ बी.एड./बी.एड. (स्पेशल) उत्तीर्ण तथा बी.एड./बी.एड. (स्पेशल) में कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों।

(ब) एम. एड. (स्पेशल) वी.आई. [मास्टर आफ एजुकेशन (स्पेशल) वी.आई.] : अवधि : (1 वर्ष : 2 सेमेस्टर) 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक के साथ—साथ बी.एड. (स्पेशल)(विजुअल इम्पेयरमेंट)/किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्पेशल एजुकेशन (वी.आई.) में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ बी.एड. (स्पेशल) (वी.आई.)/बी.एड. में 50% प्राप्तांक होना चाहिए।

अथवा

कोई परास्नातक उपाधि के साथ वी.आई. में बी.एड. (स्पेशल)/बी.एड. के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्पेशल एजुकेशन में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा सहित बी.एड. (स्पेशल) (वी.आई.)/बी.एड. में 50% प्राप्तांक होना चाहिए।

(6) कला संकाय :

(अ) एम. ए. मास कम्यूनिकेशन :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ स्नातक स्तर पर अध्ययन किये गये सभी विषयों में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णीक वांछित हो और उसे अन्तिम (उपाधि) अंक—पत्र में जोड़ा न जाता हो।

अथवा

किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, परन्तु स्नातकोत्तर तथा स्नातक दोनों स्तरों पर अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किया हो।

(ब) एम. ए. म्यूजिओलॉजी :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातकोपरान्त कला इतिहास/प्राचार भारतीय इतिहास संस्कृति व पुरातत्व/इतिहास/संस्कृत में एम. ए., अंकों के कुल योग में प्राप्त न्यूनतम 50% अंकों के साथ।

(स) एम. ए. प्रयोजनमूलक हिन्दी (पत्रकारिता) :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ स्नातक स्तर पर अध्ययन किये गये सभी विषयों में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णीक वांछित हो और उसे अन्तिम (उपाधि) अंक—पत्र में जोड़ा न जाता हो। (टिप्पणी : अभ्यर्थी हिन्दी भाषा से पूर्ण परिचित हो, क्योंकि इस पाठ्यक्रम के अध्यापन का माध्यम एकमात्र हिन्दी है)।

(द) एम. लिब. आई. एससी. (मास्टर आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेसन साइंस) :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ स्नातक स्तर पर अध्ययन किये गये सभी विषयों में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णीक वांछित हो और उसे अन्तिम (उपाधि) अंक—पत्र में जोड़ा न जाता हो।

(य) एम.पी.एड. (मास्टर आफ फिजिकल एजुकेशन) :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक उपाधि के साथ शारीरिक शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा सहित शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/उपाधि स्तर पर अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों।

अथवा

तीन/चार वर्षीय बैचलर आफ फिजिकल एजुकेशन (प्रोफेशनल) डिग्री, जिसमें अंकों के कुल योग में न्यूनतम अंक 50% हो।

टिप्पणी : (1) मगध विश्वविद्यालय और रॉची विश्वविद्यालय की बी.पी.एड. उपाधियाँ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बी.पी.एड. उपाधि के समकक्ष मान्य नहीं हैं।

(2.) एम. पी. एड. के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वे खेल के बोनस अंक के लिए उच्चतम सहभागिता प्रमाण पत्र संलग्न करें, जो स्वप्रमाणित हो (इसके लिए खंड 15 में प्रश्न पत्र का प्रारूप एवं परीक्षा अवधि देखें)। स्वप्रमाणित संलग्न उच्चतम सहभागिता प्रमाण पत्र के पीछे अभ्यर्थी का नाम तथा फार्म संख्या लिखें तथा नीचे हस्ताक्षर करें।

(7) विधि संकाय :

एलएल. एम. (मास्टर आफ ला) :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातकोपरान्त तीन वर्षीय एलएल. बी. या 10+2+5 पद्धति के अन्तर्गत बार कौन्सिल आफ इंडिया द्वारा मान्य पंचवर्षीय एलएल. बी., जिसमें एलएल. बी. उपाधि में अंकों के कुलयोग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों।

(8) विज्ञान संकाय :

एमसीए (मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन) :

अवधि : (3 वर्ष : 6 सेमेस्टर)

न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय में स्नातक उपाधि, जिसमें अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंकों (स्नातक स्तरों पर अध्ययन किये गये सभी विषयों सहित, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ केवल उत्तीर्णीक वांछित हो और जिसे अन्तिम (उपाधि) अंक-पत्र में जोड़ा न जाता हो) के साथ एक विषय के रूप में गणित या तो इण्टरस्मीडिएट अथवा +2 (10+2) या समकक्ष परीक्षा, या स्नातक स्तर पर (प्रमुख या सहायक विषय) रहा हो।

(9) महिला महाविद्यालय :

एम.एससी. बायोइन्फॉर्मेटिक्स (महिलाओं के लिए) :

अवधि : (2 वर्ष : 4 सेमेस्टर)

(अ) विज्ञान के साथ 10+2, (ब) न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/कृषि/चिकित्सा/पशु चिकित्सा/फार्मास्यूटिक्स में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि।

टिप्पणी : सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अर्हता परीक्षा के समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थीगण भी अर्ह होंगे (यदि वे सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सभी अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करते हों)।

स. विशेष पाठ्यक्रम

टिप्पणी : अभ्यर्थीगण को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित का ध्यान रखें :

(i) निम्नलिखित विशेष पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यताक्रम के आधार पर किये जायेंगे। परन्तु, यदि किसी विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आवेदकों की संख्या न्यूनतम सीटों की संख्या के दुगुने से कम होती है, तो प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। उस स्थिति में विशेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्ह परीक्षा के योग्यताक्रम के आधार पर और/या विभाग/संकाय द्वारा आयोजित लिखित/वस्तुपरक परीक्षण के आधार पर किये जायेंगे।

(ii) यदि किसी विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आवेदकों की संख्या पाठ्यक्रम में न्यूनतम सीटों की संख्या से कम होती है, तो सत्र 2010–11 में वह पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जायेगा।

(iii) नीचे दी गयी पाठ्यक्रम के लिए शुल्क संरचना बी.एच.यू. के नियमित पाठ्यक्रम में लिए जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त है।

(1) कला संकाय

(अ) एम. ए. टूरिज्म मैनेजमेंट :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमेस्टर) ;

स्थान : रा.गॉ.द.प. एवं कला इतिहास विभाग (दोनों)

सीटें : न्यूनतम 10^* ; अधिकतम : 46 (प्रत्येक स्थान पर) शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष

10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक/समकक्ष उपाधि तथा अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित समकक्ष उपाधि।

* राजीव गांधी दक्षिणी परिसर के लिए न्यूनतम सीटें 15 हैं।

(2) सामाजिक विज्ञान संकाय :

(अ) मास्टर आफ पर्सनल मैनेजमेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल रिलेशन:

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमस्टर) ;

सीटें : न्यूनतम 15 ; अधिकतम : 46

10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक उपाधि या समकक्ष उपाधि जिसमें अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक हों।

(ब) एम. ए. सोसल वर्क :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमस्टर) ;

सीटें : न्यूनतम 15 ; अधिकतम : 46

किसी भी विषय समूह में स्नातक उपाधि (10+2+3) के साथ अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक।

(स) एम. ए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमस्टर) ;

सीटें : न्यूनतम 10; अधिकतम : 38

किसी भी विषय समूह में कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक उपाधि या समकक्ष उपाधि जिसमें अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक हो।

(द) एम. ए. कॉन्फिलिक्ट मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमस्टर) ;

सीटें : न्यूनतम 10; अधिकतम : 37

किसी भी विषय समूह में कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत स्नातक उपाधि या समकक्ष उपाधि जिसमें अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक हो।

(3) वाणिज्य संकाय :

(अ) मास्टर आफ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एण्ड प्रोमोशन (एमईएमपी) :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमस्टर)

सीटें : न्यूनतम 15 ; अधिकतम : 30

10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक उपाधि या समकक्ष उपाधि जिसमें अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक हो।

(ब) मास्टर आफ रिस्क एण्ड इंश्योरेन्स मैनेजमेंट (एमआरआईएम) :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमस्टर)

सीटें : न्यूनतम 15 ; अधिकतम : 30

10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत किसी भी विषय समूह में स्नातक उपाधि या समकक्ष उपाधि जिसमें अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक हो।

(स) मास्टर आफ फाइनेन्स एण्ड कन्ट्रोल (एमएफसी) :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमस्टर)

सीटें : न्यूनतम 15 ; अधिकतम : 46

बी. काम् (आनर्स) / बी. काम् (10+2+3) / बी.बी. ए. / बी. ए. (आनर्स) या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी या अनुप्रयुक्त सांख्यिकी के साथ बी. ए. / बी. एससी. (आनर्स) अथवा एक विषय के रूप में गणित या सांख्यिकी या संगणक विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी के साथ बी. एससी. (10+2+3) / बी. टेक्. / बी. ई. / बी.सी.ए. सहित सम्बन्धित उपाधि में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए।

(4) विज्ञान संकाय :

(अ) एम. एससी. इन्विरान्मेंटल साइंस :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमस्टर)

सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 31

बी. एससी. (आनर्स) / बी. एससी. (10+2+3) के साथ-साथ 10 एवं 10+2 परीक्षाओं में भी न्यूनतम 50% अंक (समकक्ष जी.पी.ए.)।

स्थान : मनोविज्ञान विभाग

शुल्क : रु. 42,000/- प्रति वर्ष

स्थान : समाज विज्ञान विभाग

शुल्क : रु. 30,000 प्रति वर्ष

स्थान : राजनीति विज्ञान विभाग

शुल्क : रु. 15,000 प्रति वर्ष

स्थान : मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च

शुल्क : रु. 10,000 प्रति वर्ष

स्थान : वाणिज्य संकाय

शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष

शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष

शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष

स्थान : वाणिज्य संकाय

शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष

बी. काम् (आनर्स) / बी. काम् (10+2+3) / बी.बी. ए. / बी. ए. (आनर्स) या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी या अनुप्रयुक्त सांख्यिकी के साथ बी. ए. / बी. एससी. (आनर्स) अथवा एक विषय के रूप में गणित या सांख्यिकी या संगणक विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी के साथ बी. एससी. (10+2+3) / बी. टेक्. / बी. ई. / बी.सी.ए. सहित सम्बन्धित उपाधि में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए।

(ब) एम. एससी. (टेक.) इन्विरान्मेंटल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी :

अवधि : 3 वर्ष (6 सेमर्स्टर) स्थान : रा.गॉ.द.प.
 सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 30 शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष
 बी. एससी. (आनर्स) / बी. एससी. (10+2+3) या बी. एससी. (कृषि) या एम.बी.बी.एस. या बी.ई./बी.टेक. में न्यूनतम 50% अंक (समकक्ष जी.पी.ए.) के साथ-साथ 10 एवं 10+2 स्तरों पर अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए।

(स) एम. एससी. एप्लाइड माइक्रोबायलॉजी :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमर्स्टर) स्थान : वनस्पति विज्ञान विभाग
 सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 31 शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष
 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी. एससी. (आनर्स) / बी. एससी. में निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों : वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्मजैविकी, जीवन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ सम्बन्धित उपाधि में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किये हों।
 (द) एम. एससी. मॉलीक्यूलर एण्ड ह्यूमन जेनेटिक्स (सभी प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी डी.बी.टी. छात्रवृत्ति के लिए अर्ह होंगे) :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमर्स्टर) स्थान : मॉलीक्यूलर एण्ड ह्यूमन जेनेटिक्स विभाग, काहिविवि
 सीटें : न्यूनतम 05 ; अधिकतम : 15 शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष
 अर्हक परीक्षाओं में न्यूनतम 55% अंकों (या समकक्ष ग्रेड प्वाइंट) के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी. एससी. (आनर्स) / बी. एससी. (10+2+3) या बी. एससी. (कृषि) या एम.बी.बी.एस. या बी.ई./बी.टेक. (जीव विज्ञान से सम्बन्धित विषयों में) या बी. फार्मा. तथा 10 एवं 10+2 परीक्षाओं में अलग-अलग 55% अंकों से कम नहीं होने चाहिए।

(य) एम. एससी. पेट्रोलियम जीओसाइंसेज :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमर्स्टर) स्थान : भूगर्भ विज्ञान विभाग, काहिविवि
 सीटें : न्यूनतम 05 ; अधिकतम : 10 शुल्क : रु. 50,000/- प्रति वर्ष
 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी. एससी. (आनर्स) भूगर्भ विज्ञान या बी. एससी. के साथ +2 स्तर पर भौतिकी एवं गणित, और स्नातक स्तर पर कुल अंकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित बी. एससी. के सभी तीन वर्षों में भूगर्भ विज्ञान एक विषय अवश्य होना चाहिए।

(5) विधि संकाय :

एलएल. एम. कोर्स इन ह्यूमन राइट एण्ड ड्यूटीज् एजुकेशन :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमर्स्टर) स्थान : विधि संकाय
 सीटें : न्यूनतम 05 ; अधिकतम : 15 शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष
 तीन वर्षीय एलएल.बी. (10+2+3+3) या बी.सी.आई (बार कॉसिल आफ इंडिया) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कुल प्राप्तांकों के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित पंचवर्षीय (10+2+5) एलएल. बी. उपाधि।

(6) प्रबन्ध शास्त्र संकाय :

(अ) एमबीए एग्री-बिजनेस :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमर्स्टर) स्थान : रा.गॉ.द.प.
 सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 46 शुल्क : रु. 65,000/- प्रति वर्ष
 10+2+3 योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कम से कम कोई एक विषय : वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी के साथ बी. एससी. (कृषि) एवं सम्बन्धित विषयों या बी. एससी. गृह विज्ञान या बी. एससी. में अंकों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक अथवा उपरोक्त विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि।

(7) कृषि विज्ञान संस्थान:

(अ) एम. एससी. (कृषि) एग्रोफारेस्ट्री :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमर्स्टर) स्थान : रा.गॉ.द.प.
 सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 23 शुल्क : रु. 20,000/- प्रति वर्ष

विश्वविद्यालय की चतुर्वर्षीय बी. एससी. (कृषि) / बी. एससी. (जीवविज्ञान) / बी. एससी. पर्यावरण विज्ञान या इस विश्वविद्यालय के समकक्ष परीक्षा या कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, जिसमें पारम्परिक प्रणाली के अन्तर्गत अंकों के कुल योग में कम से कम 50% अंक या कोर्स केडिट प्रणाली के अन्तर्गत 2.5/4, 3.5/5, 4.0/6 व 6.0/10 का सीजीपीए हो।

(ब) एम. एससी. (कृषि) स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमस्टर)	स्थान : रा.गॉ.द.प.
सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 15	शुल्क : रु. 20,000/- प्रति वर्ष

विश्वविद्यालय की चतुर्वर्षीय बी. एससी. (कृषि) या कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, जिसमें पारम्परिक प्रणाली के अन्तर्गत अंकों के कुल योग में कम से कम 50% अंक या कोर्स केडिट प्रणाली के अन्तर्गत 2.5/4, 3.5/5, 4.0/6 व 6.0/10 का सीजीपीए हो।

(स) मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट (एमएबीएम) :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमस्टर)	स्थान : कृषि अर्थशास्त्र विभाग
सीटें : न्यूनतम 10 ; अधिकतम : 25	शुल्क : रु. 75,000/- प्रति वर्ष

विश्वविद्यालय की चतुर्वर्षीय बी. एससी. (कृषि) या कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, जिसमें पारम्परिक प्रणाली के अन्तर्गत पूर्णयोग कम से कम 50% अंक या कोर्स केडिट प्रणाली के अन्तर्गत 2.5/4, 3.5/5, 4.0/6 व 6.0/10 का सीजीपीए हो।

(द) एम.टेक. एग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग; (स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन इन्जीनियरिंग) :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमस्टर)	स्थान : फार्म अभियांत्रिकी विभाग
सीटें : न्यूनतम 02 ; अधिकतम : 08	शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष

बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी / सिविल अभियांत्रिकी) / बी. ई. (कृषि अभियांत्रिकी / सिविल अभियांत्रिकी) या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य कोई समकक्ष परीक्षा।

(य) एम. एससी. फूड साइंस एण्ड टेक्नोलाजी :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमस्टर)	स्थान : खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र
सीटें : 15 ; अधिकतम : 30	शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष

बी. एससी. (कृषि), बी. एससी. (खाद्य प्रौद्योगिकी), बी. एससी. (दुग्ध प्रौद्योगिकी), बी. एससी. (कृषि अभियांत्रिकी), बी. एससी. (जीवविज्ञान / गणित समूह), बी. एससी. (गृह विज्ञान), या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य कोई समकक्ष परीक्षा।

(र) एम. एससी. प्लांट बायोटेक्नोलाजी :

अवधि : 2 वर्ष (4 सेमस्टर)	स्थान : रा.गॉ.द.प.
सीटें : न्यूनतम 20 ; अधिकतम : 30	शुल्क : रु. 30,000/- प्रति वर्ष

बी. एससी. (कृषि) / जीवविज्ञान के साथ बी. एससी. (वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान एवं कोई अन्य विषय) / जैवप्रौद्योगिकी / बी. टेक. (जैव प्रौद्योगिकी)।

टिप्पणी : स्थान रा.गॉ.द.प. का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर में संचालित होंगे।

2. अनुसूचित जाति (अ0जा0), अनुसूचित जनजाति (अ0ज0जा0), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0पि0व0) एवं शारीरिक रूप से विकलांग (शा0वि0) अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ता शर्तों में शिथिलता

अ0जा0/अ0ज0जा0 अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में, उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों में आवश्यक अर्ह परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्तांक की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि उन्होंने अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण की हो और सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा में निश्चित रूप से सम्मिलित हुए हों। इसके साथ ही, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अहर्ताओं की तुलना में अ0पि0व0 एवं शा0वि0 अभ्यर्थियों के लिए, अर्हक परीक्षा के प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान की जाएगी।

3. न्यूनतम अहर्ता शर्तों के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ

(i) वे अभ्यर्थी जो अर्ह परीक्षा के अन्तिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। परन्तु, ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह परीक्षा का मूल अंकपत्र

प्रवेश हेतु परामर्श के समय प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी पाठ्यक्रम में अस्थायी प्रवेश हेतु परामर्श के लिए बुलाया गया है जिनके अहं परीक्षा के परिणाम परामर्श की तिथि तक घोषित नहीं हुए हैं, को भी अधोलिखित शर्तों के साथ प्रवेश लेने की अनुमति दी जायेगी :

(अ) वे सक्षम प्राधिकारी (जैसे: परीक्षा नियंता, कुलसचिव इत्यादि) से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि निर्धारित अहं परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है।

(ब) अहं उपाधि से सम्बन्धित पूर्व परीक्षा(ओं) के अंक पत्रों (केवल अन्तिम वर्ष की परीक्षा को छोड़कर जिसका परीक्षा परिणाम परामर्श की तिथि तक घोषित नहीं हुआ है) से यह स्पष्ट होना चाहिए कि अभ्यर्थी ने प्राप्तांकों के कुल योग में न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंक (उदाहरण के लिए 50%) प्राप्त किये हैं (यह 30जा०/30ज०जा० के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नहीं होगा)।

(स) अभ्यर्थी को एक लिखित शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वह अहं परीक्षा का अंक पत्र प्रवेश वर्ष के 14 अगस्त या उसके पूर्व जमा कर देगा/देगी और यदि वह प्रवेश वर्ष की 14 अगस्त या उसके पूर्व मूल अंक पत्र जमा करने में असफल होता/होती है, तो उसका पाठ्यक्रम में सर्वांगीन प्रवेश स्वयं ही निरस्त हो जायेगा और वह अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए कोई दावा नहीं करेगा/करेगी।

इसके साथ ही, यदि उसका अहं परीक्षा में अंकों के कुल योग में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों से कम होगा, तो भी उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा और वह अभ्यर्थी शुल्क वापसी हेतु कोई भी दावा नहीं कर सकेगा। यह छूट पूरक परीक्षाओं/पुर्नमूल्यांकन परीक्षाफल हेतु लागू नहीं है।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो इस विश्वविद्यालय के संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किसी अध्ययन पाठ्यक्रम (के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर) में पूर्व में प्रवेश प्राप्त किए हैं और वे सम्बन्धित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अहं रहे हैं, तो उन्हें उसी पाठ्यक्रम के प्रवेश परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने हेतु अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उस सम्बन्धित संकाय के अध्यादेश द्वारा विशेष रूप से इस तरह की अनुमति न दी गयी हो। इसके साथ ही, ऐसे अभ्यर्थी जो सम्बन्धित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उपरिथित के अभाव में या समय से परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं करने के कारण अहं नहीं थे, उन्हें उस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी, यदि वे अन्यथा अहं होंगे।

(iii) यदि अभ्यर्थी ने अहं परीक्षा वहाँ से उत्तीर्ण की है जहाँ ग्रेड प्वाइंट प्रदान किये जाते हैं तथा :

(अ) यदि ग्रेडशीट पर ग्रेड प्वाइंट के समकक्ष अंक प्रतिशत को नहीं दर्शाया गया है, तो अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान से समकक्ष अंक प्रतिशत परिवर्तन अथवा अंक प्रतिशत का औसत ग्रेड प्वाइंट परिवर्तन सम्बन्धी सूत्र का प्रमाण—पत्र जमा करना होगा।

(ब) यदि ग्रेडशीट पर ग्रेड प्वाइंट के अंकों का समकक्ष प्रतिशत का उल्लेख हो या ऐसा परिवर्तन निकालने का सूत्र दिया हो, तो अभ्यर्थी को उस उपाधि/ग्रेडशीट के दोनों पृष्ठों की छायाप्रति, जिसमें अंकों का प्रतिशत परिवर्तन सूत्र दर्शाया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iv) अंकों के कुल योग में प्रतिशत की गणना में अभ्यर्थी को दिया गया कृपांक सम्मिलित नहीं होगा। ऐसे विषयों, जैसे कि अनिवार्य भाषा, अनिवार्य पर्यावरण, इत्यादि में प्राप्त अंक जिनमें केवल उत्तीर्णांक वांच्छित हो, इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। इसी प्रकार, सम्पूर्ण योग के प्रतिशत/श्रेणी सुधार के लिए अतिरिक्त विषयों (यदि कोई हो) के अंक विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राप्तांकों के कुल योग में प्रतिशत की गणना में नहीं जोड़े जायेंगे। अधिक स्पष्टीकरण हेतु नीचे दिये गए खण्ड “न्यूनतम अहंता शर्तों के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ” क्रम सं.

(v) नीचे देखें।

(v) अंकों के कुल योग में प्रतिशत की गणना अहं परीक्षा के अन्तिम अंक पत्र के आधार पर की जायेगी। हालांकि, स्नातक परीक्षा के सम्बन्ध में, जहाँ कि अन्तिम अंक पत्र दो या दो से अधिक प्रकार के हैं, जो केवल आनर्स विषय या तीनों वर्षों में अध्ययन किये गये सभी विषयों के आधार पर हो सकते हैं में पूर्णयोग में प्राप्तांकों की प्रतिशत की गणना सभी तीन वर्षों में अध्ययन किये गये सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर की जायेगी। उदाहरण के लिए, का.हि.वि.वि. से बी. ए. (आनर्स) / बी. एससी. (आनर्स) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में पूर्व के वर्षों में अन्तिम अंक पत्र दो प्रकार के थे, अर्थात् एक मात्र 1000 अंक पर आधारित और दूसरा 1800 अंक पर आधारित थीं। ऐसी स्थितियों में अंकों के कुल योग में प्राप्तांक प्रतिशत की गणना 1000 के स्थान पर 1800 अंकों के आधार पर की जायेगी। इसके साथ ही, जहाँ अन्तिम अंकपत्र केवल आनर्स विषयों पर आधारित हो, परन्तु अभ्यर्थी ने अन्य सहायक/समान तरह के अन्य विषय का अध्ययन उसी दौरान किया हो,

तो इन विषयों के अंकों को भी प्राप्तांकों के प्रतिशत की गणना में सम्मिलित किया जायेगा। किसी भी प्रकार के विरोधाभास/व्याख्या की कठिनाई की स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

(vi) (अ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा मान्यता प्राप्त उपाधियों/प्रमाण पत्रों को ही समतुल्य उपाधि/प्रमाण पत्र माना जायेगा।

(ब) केवल इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की दूरस्थ शिक्षा परिषद्/भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) को ही दूरस्थ शिक्षा की उपाधियों/प्रमाण—पत्रों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार है। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अस्थायी तौर पर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी, परन्तु उन्हें इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की दूरस्थ शिक्षा परिषद् से पाठ्यक्रमों की मान्यता/अनुमोदन संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

(vii) पाठ्य नियमावली में कुछ भी उल्लेखित होने के बावजूद ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश लिया जाता है, प्रवेश के लिये अपेक्षित पात्रता वही होगी जिसे शैक्षणिक सत्र से सम्बन्धित सूचना पुस्तिका में वर्णित किया गया है।

(viii) जाली/नकली प्रमाण पत्रों या धोखाधड़ी के आधार पर जमा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। और, ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा।

(ix) अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह प्रवेश के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न अंक पत्रों/उपाधियों/प्रमाण—पत्रों के अन्तिम सत्यापन एवं अर्हक परीक्षा के प्रमाण—पत्रों/अंक पत्रों की वैधता तथा पूर्व में सम्पन्न इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा/प्रवेश परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधन के प्रयोग न करने का सत्यापन भी किया जायेगा।

(x) स्नातक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र अथवा लिखित परीक्षा में उत्तीर्णक अर्जित करने पर ही कोई अभ्यर्थी उस पाठ्यक्रम में प्रवेश का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह सम्बन्धित अर्हता शर्तें पूर्ण न करता/करती हो। आवेदकगण, आवेदन पत्र भरने के पूर्व ऊपर निर्धारित अर्हता शर्तों को पूर्ण करने के प्रति स्वयं को पूर्णरूपेण आश्वस्त कर लें।

(xi) यदि किसी अभ्यर्थी को असावधानीवश प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी जाती है, जो न्यूनतम अर्हता शर्तें पूर्ण नहीं करता है, तो वह बाद में इसे आधार बनाकर यह दावा नहीं कर सकेगा/सकेगी कि वह अर्हता शर्तें पूर्ण करता/करती है।

विश्वविद्यालय के पास किसी भी समय प्रवेश निरस्त करने/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि यह ज्ञात होता है कि:

- अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता शर्तें पूर्ण नहीं करता है।
- जाली अभिलेख जमा किये हैं, अथवा तथ्यों को छुपाया गया है।
- इसी प्रकार का कोई अन्य वैध कारण।

(xii) इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थीगण, इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्था के किसी भी अन्य पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये योग्य नहीं होंगे।

(xiii) कोई अभ्यर्थी एक से अधिक संख्या में भी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकता है, जिसके लिए वह अर्ह है, बशर्ते उनकी प्रवेश परीक्षायें अलग—अलग तिथियों पर हों (कृपया प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम देखें)।

4. आरक्षण

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :

प्रत्येक पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 15% एवं 7.5% सीटें आरक्षित रखी जायेंगी। इन सीटों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश लिये जायेंगे, बशर्ते कि अभ्यर्थी ने अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की है और सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुआ है।

प्रत्येक अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों को एक प्रमाण पत्र, जिसमें उनके अ0जा0/अ0ज0जा0 के अन्तर्गत अभ्यर्थी होने का उल्लेख हो, की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि जमा करनी पड़ेगी। ऐसा प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी से सत्यापन के अधीन होगा। अधोलिखित अधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है:

(अ) जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) / तालुक मजिस्ट्रेट / एक्सीकूटिव मजिस्ट्रेट / एक्ट्रा असिस्टेंट कमिशनर।

(ब) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / एडिशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(स) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो।

(द) उस क्षेत्र का सब डिविजनल आफिसर, जहाँ अभ्यर्थी और /या उसका परिवार सामान्यतया निवास करता हो।

(य) प्रशासक / प्रशासक का सचिव / विकास अधिकारी (लक्ष्मीप आइसलैंड्स)।

अभ्यर्थीगण ध्यान रखें कि किसी भी अन्य व्यक्ति / प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

यदि अभ्यर्थी अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 से सम्बन्धित संवर्ग का है तो उसका / उसकी जाति / जनजाति भारत सरकार की परिनियमावली सूची में अवश्य होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से (अ) अभ्यर्थी का / की जाति / जनजाति का नाम (ब) क्या वह अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 का / की है (स) उसके सामान्यतया निवास वाले जनपद एवं राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश का नाम, और (द) भारत सरकार की परिनियमावली जिसके अन्तर्गत उसकी जाति / जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुमोदन प्राप्त है, का उल्लेख होना चाहिए।

परन्तु, यदि कोई छात्र किसी अन्य श्रेणी में प्रवेश लेने का इच्छुक है (जैसे: शा0वि0 / कर्मचारी प्रतिपाल्य, इत्यादि), तो अभ्यर्थी को उस श्रेणी की न्यूनतम आवश्यक अर्हता को पूर्ण करना होगा।

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0पि0व0) :

सभी पाठ्यक्रमों में अ0पि0वर्ग (क्रीमी लेयर के अन्तर्गत को छोड़कर) के अभ्यर्थियों हेतु 27% सीटें आरक्षित होंगी।

अ0पि0जा0 प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी वही हैं जो अ0जा0 / अ0ज0जा0 के संदर्भ में ऊपर अनुभाग 4 (i) में दिये गये हैं। अ0पि0जा0 प्रमाण-पत्र में केवल वही जातियाँ होंगी जो केन्द्रीय सरकार की सूची में हैं। इसके साथ ही, अ0पि0जा0 प्रमाण-पत्र में स्पष्ट हो कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं है।

(iii) शारीरिक विकलांग (शा0वि0) : शारीरिक विकलांगता हेतु (3%) सीटें आरक्षित होंगी; (i) दृष्टि विकलांगता (1%) + (ii) बधिर विकलांगता (1%) + (iii) अस्थिविकलांगता (1%) (क्षैतिज स्तर पर आरक्षण)। ऐसे विकलांग अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। सम्भावित अस्थायी प्रवेश हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों का परीक्षण का.हि.वि.वि. द्वारा गठित चिकित्सक समिति (मेडिकल बोर्ड) द्वारा की जायेगी, और यदि आवश्यक हुआ तो यह चिकित्सक समिति, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदण्ड के आधार पर, अन्य प्रमाणित संस्था को इस कार्य हेतु संदर्भित कर सकती है। का.हि.वि.वि. द्वारा गठित चिकित्सक समिति का निर्णय अन्तिम होगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा केवल वाराणसी केन्द्र पर ही आयोजित होगी।

दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिये 'लेखक' :

दृष्टिहीन अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा 'लेखक' की व्यवस्था की जायेगी। 'लेखक' की शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थी अपने प्रवेश परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व निर्धारित आवेदन पत्र पर परीक्षा-नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को आवेदन करें। इसके लिए अभ्यर्थी को परीक्षा नियंता कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करके एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (जैसा प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र पर चिपकाया गया है) चिपका कर जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष के समक्ष रोग-विषयक जॉच के लिए उपस्थित होना होगा और लेखक देने से पूर्व विभागाध्यक्ष की सलाह / संस्तुति पर विचार किया जायेगा। ऐसे सभी दृष्टिहीन अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा केवल एक ही केन्द्र 'वाराणसी' पर होगी।

'शारीरिक विकलांगता' वाले अभ्यर्थियों के लिए टिप्पणी : एम.पी.एड. में शारीरिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को खेलकूद की गतिविधियों में प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है।

वह अभ्यर्थी, जो शारीरिक कार्यों को बिना किसी दूसरे की सहायता के खड़े रहकर स्वयं सम्पन्न करने में सक्षम होना आवश्यक होगा।

(iv) एम.पी.एड. में निर्धारित कुल सीटों का 15% सीटें महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए आरक्षित हैं। यदि ये सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में इन्हें मेरिट के आधार पर पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।

सुपरन्यूमररी सीटें (अतिरिक्त सीटें) :

(i) का.हि.वि.वि. कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये : 5% अतिरिक्त सीटें (एम.सी.ए., पाठ्यक्रम को छोड़कर) का.हि.वि.वि. के वर्तमान में सेवारत स्थायी कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री (परिवीक्षा अधिकारी के कर्मचारी सहित) अथवा प्रवेश परीक्षा वाले (सत्र) से ठीक पहले वाले शैक्षणिक सत्र में सेवारत रहे कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे, बशर्ते ऐसे अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता आवश्यकतायें पूर्ण करते हों और इस श्रेणी हेतु आवेदन—पत्र में कर्मचारी प्रतिपाल्य श्रेणी का दावा किये हों तथा स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों। परन्तु, विशेष पाठ्यक्रमों (स्पेशल कोर्सेज) के लिए इस प्रकार का कोई भी प्राविधान उपलब्ध नहीं है। का.हि.वि.वि. कर्मचारी प्रतिपाल्य श्रेणी के आवेदकों के लिए आवश्यक है कि वे अपने विभागाध्यक्ष/उसके कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र, कि “अभ्यर्थी का हि.वि.वि. कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग के अन्तर्गत है,” जमा करना आवश्यक है। और, ऐसे अभ्यर्थियों को यदि परामर्श के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें उपकुलसचिव (प्रशासन) द्वारा हस्ताक्षरित एवं जारी किया गया विश्वविद्यालय कर्मचारी पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रपत्र पर ही जमा करना होगा। इसी प्रकार ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में स्थायी रूप से किसी सम्बद्ध महिला महाविद्यालय में कार्यरत है या प्रवेश परीक्षा वाले शैक्षणिक सत्र से एक सत्र पूर्व में सेवारत थे उनकी पुत्रियों के लिए (पुत्र—पुत्रियों के लिये यदि डी. ए. वी. पी. जी. कालेज में हों) सम्बन्धित सम्बद्ध महाविद्यालय में 5% अतिरिक्त स्थान आरक्षित होंगे, बशर्ते अभ्यर्थी न्यूनतम योग्यता अर्हता पूर्ण करता हो एवं प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जहाँ कहीं पर कर्मचारी प्रतिपाल्यों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्राविधान है, यह प्राविधान विश्वविद्यालय के उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर अथवा अनुसंधान वैज्ञानिक ए. बी और सी के पद पर कार्यभार ग्रहण किये हैं, जिसे कर्मचारी प्रतिपाल्यों हेतु उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त सीट का सृजन कर प्रवेश किया जायेगा, बशर्ते उनका प्रवेश प्राप्तांक कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग में प्रवेश पाये अन्तिम अभ्यर्थी के प्रवेश प्राप्तांक से कम न हो (नोट : कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग के लिए अतिरिक्त सीटों के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।)

(ii) पेड़ सीट : कुछ निश्चित पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त ‘पेड़ सीटें’ (कुल सीटों की संख्या के 10% से अधिक नहीं) का प्राविधान है जिसका विस्तृत विवरण प्रवेश के समय संबद्ध संकाय/विभाग से प्राप्त किये जा सकेंगे। परन्तु, विशेष पाठ्यक्रमों के लिए इस प्रकार का कोई भी प्राविधान उपलब्ध नहीं है।

(iii) इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सम्बन्धित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त ‘पेड़ सीटें’ पर प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी हेतु सम्बन्धित संकाय/विभाग से सदैव सम्पर्क बनाये रखें।

(iv) स्पोर्ट्स सीटें: विभिन्न संकायों/संस्थानों में खेल श्रेणी के अन्तर्गत अतिरिक्त सीटें नीचे दिये विवरण के अनुसार उपलब्ध होंगी :

संकाय		स्पोर्ट्स सीटें (अतिरिक्त सीटें)
1	कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान	प्रत्येक में 5 (किसी भी पाठ्यक्रम में 02 से अधिक नहीं)
2	वणिज्य	2
3	कृषि, शिक्षा, मंच कला, दृश्य कला, सं.वि.धि.वि.	प्रत्येक में 1

टिप्पणी : विशेष पाठ्यक्रमों के लिए ऐसा कोई भी प्राविधान उपलब्ध नहीं है।

खेल श्रेणी के अन्तर्गत अभ्यर्थियों पर विचार केवल विश्वविद्यालय खेल परिषद् के अनुमोदन पर किया जायेगा। स्पोर्ट्स सीटों के लिए अर्हता के कम में एक अभ्यर्थी को : (अ) अन्तरविश्वविद्यालयीय जोनल चैम्पियनशिप में विजेता या उपविजेता। अथवा संयुक्त विश्वविद्यालयी दल में चयनित अभ्यर्थी जिसने अखिल भारतीय स्तर पर खेला हो। अथवा किंकेट में विज्जी ट्राफी में चयनित अभ्यर्थी। अथवा इन्टरजोनल अखिल भारतीय विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप टीम अवसरों में चौथे स्थान तक अथवा व्यक्तिगत रूप से छठे स्थान तक अर्जित किया हो। और (ब) भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पात्रता मानकों के अनुसार अन्तरविश्वविद्यालयीय टूर्नामेंट में

भाग लेने हेतु विचार किये जाने योग्य हो। और (स) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम पात्रताओं को पूर्ण करता हो और पाठ्यक्रम के पीईटी में अवश्य समिलित हुआ हो। “स्पोर्ट्स सीटों के अंकों” की आवंटन सूची निम्नलिखित है :

(अ) इन्टरजोनल / अखिल भारतीय अन्तरविश्वविद्यालयी चैम्पियनशिप

व्यक्तिगत खेल में	दलीय खेल में	अंक
प्रथम स्थान	सदस्य, समन्वित विश्वविद्यालयी दल	35 अंक
द्वितीय स्थान	सदस्य, विजेता दल	30 अंक
तृतीय स्थान	सदस्य, उपविजेता दल	25 अंक
चतुर्थ स्थान	सदस्य, तृतीय स्थान प्राप्त दल	20 अंक
पंचम स्थान	सदस्य, चतुर्थ स्थान प्राप्त दल	15 अंक
षष्ठम स्थान	सदस्य, विज्जी ट्राफी दल	10 अंक

(ब) अन्तरविश्वविद्यालयी जोनल चैम्पियनशिप

व्यक्तिगत खेल में	दलीय खेल में	अंक
-----	सदस्य, विजेता दल	08 अंक
-----	सदस्य, उपविजेता दल	04 अंक

टिप्पणी : स्पोर्ट्स सीटों में मेरिट का निर्णय खेल अंकों द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक संकाय को आवंटित स्पोर्ट्स सीटों पर चयन खेल अंकों के मेरिट के आधार पर किया जायेगा। किसी संकाय में अभ्यर्थियों के ‘खेल अंकों’ में समानता होने के मामले में पीईटी सूचकांक के आधार पर ‘इंटर-से-रैंकिंग’ का निर्धारण किया जायेगा और यदि पीईटी में भी सूचकांक समान होता है तो अह परीक्षा(ओं) में अंकों के कुलयोग में प्राप्त प्रतिशत पर विचार किया जायेगा। यदि इन सभी में भी समानता मिलती है तो आयु में वरिष्ठता वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(v) विदेशी नागरिक : विदेशी नागरिकों हेतु 15% अतिरिक्त सीटों का प्राविधान है, जिनमें से 5 प्रतिशत स्थान (अप्रवासी भारतीय नागरिकों) [भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी.आई.ओ.)] के बच्चों द्वारा और 5 प्रतिशत गल्फ और दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में कार्यरत भारतीयों के बच्चों द्वारा भरी जायेंगी। इनका विस्तृत विवरण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के कार्यालय, सी/3/3, टैगोर हाउस, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 005 से प्राप्त किया जा सकता है (हमारी वेबसाइट: www.bhu.ac.in को देखें)।

‘संस्थागत वरीयता’:

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए संस्थागत वरीयता (एमसीए पाठ्यक्रम को छोड़कर) उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार खुले वर्ग में अधिकतम 25 % सीटों तक उपलब्ध रहेगा। परन्तु, विशेष पाठ्यक्रमों के लिए इस प्रकार का कोई भी प्राविधान उपलब्ध नहीं है। “काशी हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र” वह है जिसने विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रवेश पाया हो और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से परीक्षा के वर्ष अथवा परीक्षा के तत्काल एक वर्ष पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। ‘का.हि.वि.वि. छात्रों’ के लिए ‘वरीयता स्थान’ के अन्तर्गत किसी भी रिक्त स्थान को पूर्वोक्त निर्देशों के अनुसार खुले सामान्य श्रेणी के अनुगमी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम की कूट संख्या एवं सीटों की संख्या :

1. अभ्यर्थियों को ‘आवेदन पत्र’ पर पाठ्यक्रम का नाम और पाठ्यक्रम कूट संख्या लिखने की आवश्यकता होगी।
2. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग परीक्षा होगी। परन्तु, कुछ पाठ्यक्रम ऐसे हैं जहाँ कामन प्रवेश परीक्षा होगी, जिनका विवरण खण्ड 15 में उपलब्ध है। ऐसे मामले जहाँ एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए कामन प्रवेश परीक्षा होनी है, वहाँ उन पाठ्यक्रमों के लिए एक कूट संख्या आवंटित की गयी है। उन कामन प्रवेश परीक्षा के किसी पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी को वही कूट संख्या भरना है।
3. जब आवेदन पत्र में पाठ्यक्रम का नाम भरा जा रहा हो, अभ्यर्थी को उस कोड को भरना चाहिए जिसके अन्तर्गत उसका पाठ्यक्रम आता हो। इसके बारे में विवरण नीचे दिया गया है :

संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय : (पाठ्यक्रम : आचार्य)

विषय	कूट सं.	सीटों की सं.	विषय	कूट सं.	सीटों की सं.
शुक्ल यजुर्वेद	281		धर्मशास्त्र	290	
ऋग्वेद	282	25	मीमांसा	297	14
समवेद	283		जैन दर्शन	291	
ऋग्वेद	284		बौद्धदर्शन	298	17
व्याकरण	285	25	वेदान्त	292	
साहित्य	286	25	पुराणेतिहास	293	
ज्योतिष गणित	287	25	सांख्ययोग	294	
ज्योतिष फलित	288		प्रचीनन्याय	295	31
धर्मागम	289	14	न्यायवैशेषिक	296	

कला संकाय : (पाठ्यक्रम : एम. ए.)

विषय	कूट सं.	सीटों की सं.	विषय	कूट सं.	सीटों की सं.
अरबी	431	17	मराठी	442	34
चाइनीज	432	17	तेलगू	443	34
अंग्रेजी	433	77	उर्दू	444	51
फ्रांसीसी	434	17	पाली	445	36
जर्मन	435	17	संस्कृत	446	77
नेपाली	436	43	भाषा विज्ञान	447	43
परशियन	437	17	प्रा.भा.इ.क. एवं पुरा.	448	77
रसियन	438	17	कला इतिहास	449	43
बंगाली	439	77	आई.पी.आर.	450	77
हिन्दी	440	154	दर्शनशास्त्र	451	77
कन्नड़	441	34			

पाठ्यक्रम एम. ए.	कूट सं.	सीटों की सं.
मास कम्यूनिकेशन	452	38
म्यूजिओलाजी	453	09
प्रयोजनमूलक हिन्दी (पत्रकारिता)	454	23

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.
एम. लिब्. एण्ड इन्फा. साइंस	456	38
एम.पी.एड्. #	457	38

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.
एम. ए. टूरिज्म मैनेजमेंट +	455	10 46+46 ⁺

स्नातकोत्तर महाविद्यालय	पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.
आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय	संस्कृत	446	30
	हिन्दी	440	30
वसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा	हिन्दी	440	30
	अंग्रेजी	433	30
वसन्त महिला महाविद्यालय, राजघाट	अंग्रेजी	433	30

⁺ अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत ; रा.गॉ.द.प. में सीटों की संख्या : 15

एम.पी.एड्. में महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल सीटों का 15 % सीट अरक्षित रहेगा। यदि उपयुक्त संख्या में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगी, तो आवंटित महिला सीटें पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी।

सामाजिक विज्ञान संकाय : (पाठ्यक्रम : एम. ए.)

विषय	कूट सं.	सीटों की सं.	विषय	कूट सं.	सीटों की सं.
अर्थशास्त्र	466	77	राजनीति विज्ञान	461	77
इतिहास	460	77	समाजशास्त्र	462	77

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.		पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.	
		अधि.	न्यून.			अधि.	न्यून.
एम. ए. सोसल वर्क*	463	15	46	एम.ए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन *	464	10	38
मास्टर आफ परसनल मैनेजमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन्स *	465	15	46	एम. ए. कन्फलीक्ट मैनेजमेंट	467	10	37

*अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत

स्नातकोत्तर महाविद्यालय	पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.
आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय	मनोविज्ञान	497	30
वसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा	समाजशास्त्र	462	30
	मनोविज्ञान	497	30
वसन्त महिला महाविद्यालय, राजघाट	मनोविज्ञान	497	30
डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय	समाजशास्त्र	462	30
	अर्थशास्त्र	466	30
	इतिहास	460	30

वाणिज्य संकाय : (पाठ्यक्रम : एम. कॉम्./ एमएफसी / एमईएमपी / एमआरआईएम)

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटें	
		न्यून.	अधि.
एम. कॉम्.	470	-	154
मास्टर आफ फाइनेन्स एण्ड कन्ट्रोल (एम.एफ.सी) *		15	46
मास्टर आफ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एण्ड प्रोमोशन (एमईएमपी)* / मास्टर आफ रिस्क एण्ड इंस्योरेन्स मैनेजमेंट (एमआरआईएम) *	385	प्रत्येक पाठ्यक्रम में 15	प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30

स्नातकोत्तर महाविद्यालय	पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.
डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय	एम. काम.	470	30

*अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत। इन पाठ्यक्रमों के लिए एक कामन प्रवेश परीक्षा होगी।

विज्ञान संकाय : (पाठ्यक्रम : एम. एससी. / एम. एससी. (टेक.))

विषय	कूट सं.	सीटों की सं.	विषय	कूट सं.	सीटों की सं.
			वनस्पति विज्ञान	485	51
भौतिक विज्ञान	481	77			

विषय	कूट सं.	सीटों की सं.	विषय	कूट सं.	सीटों की सं.
रसायन विज्ञान	482	77	कम्प्यूटर साइंस	486	26
जीओलॉजी / पेट्रोलियम जीओसाइंसेज	483	43+10 [#]	बायोकेमेस्ट्री	487	22
प्राणि विज्ञान	484	51	जीओफिजिक्स	491	34

[#] पेट्रोलियम जीओ साइंसेज में एम. एससी. के लिए 10 सीटें (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत) / न्यूनतम सीटें : 05.

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.		पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.	
		न्यून.	अधि.			न्यून.	अधि.
एम. एससी. इन्विरान्मेंटल साइंस	489	10	31	एम. एससी. इन् एप्लाइड माइक्रोबायलॉजी	488	10	31
एम. एससी. (टेक.) इन्विरान्मेंटल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी	480	10	30	एम. एससी. मालीक्यूलर एण्ड ह्यूमन जेनेटिक्स	490	05	15

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.
एमसीए	492	46+31 ⁺

⁺ राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर में पेड सीट के अन्तर्गत संचालन के लिए का.हि.वि.वि के नियमित शुल्क के अतिरिक्त पेड सीट शुल्क संरचना रु. 50,000/- प्रति वर्ष।

शिक्षा संकाय : (पाठ्यक्रम : एम. एड. / एम. एड. (स्पेशल))

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.
एम. एड	390	38
एम. एड (स्पेशल) वी. आई.	391	23

विधि संकाय : (पाठ्यक्रम : एलएल. एम. / एलएल.एम. (एचआरडीई))

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.	
		न्यून.	अधि.
एलएल. एम.	475	.	38
एलएल. एम. कोर्स इन् ह्यूमन राइट एण्ड ड्यूटीज् एजुकेशन *	476	05	15

* अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत।

प्रबन्ध शास्त्र संकाय

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.	
		न्यून.	अधि.
एमबीए इन् एग्री-बिजनेस *	381	10	46

* अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत।

दृश्य कला संकाय : (पाठ्यक्रम : एम.एफ.ए.)

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.		पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.	
		न्यून.	अधि.			न्यून.	अधि.
पेन्टिंग	360	22		पौटरी एण्ड सिरेमिक्स	363	06	
एप्लाइड आर्ट्स	361	26		टेक्सटाइल डिजाइन	364	06	
प्लास्टिक आर्ट्स	362	12					

मंच कला संकाय : (पाठ्यक्रम : एम. म्यूज.)

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.	पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.
एम. म्यूज् (वोकल,)	366	17	एम. म्यूज् डान्स (कथक)	371	10
एम. म्यूज् इन्स्ट्रुमेंटल (सितार,)	367	34	एम. म्यूज् डान्स (भरत नाट्यम्)	372	10
एम. म्यूज् इन्स्ट्रुमेंटल (वायलिन)	368		एम. म्यूजिकोलॉजी	373	15
एम. म्यूज् इन्स्ट्रुमेंटल (बांसुरी)	369				
एम. म्यूज् इन्स्ट्रुमेंटल (तबला)	370				

कामन विषय : (पाठ्यक्रम : एम.ए./एम.एससी.)

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.	पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.
गृह विज्ञान *	494	52 (एम.ए.+एम.एससी.)	मनोविज्ञान	497	51 (एम.ए.+एम.एससी.)
गणित	495	115 (एम.ए.+एम.एससी.)	भूगोल	498	66 (एम.ए.+एम.एससी.)
सांख्यिकी	496	51 (एम.ए.+एम.एससी.)			

स्नातकोत्तर महाविद्यालय	पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.
वसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा	गृहविज्ञान	494	20

* केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए।

टिप्पणी : (1) भूगोल, गृह विज्ञान, गणित, सांख्यिकी पाठ्यक्रम कला + विज्ञान संकायों में उपलब्ध हैं; मनोविज्ञान पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान + विज्ञान संकायों में उपलब्ध हैं। यद्यपि कि प्रवेश प्रक्रिया (और अध्यापन कार्य) सम्बन्धित विभागों में होता है।

(2) एम. ए./एम. एससी. भूगोल, गणित, सांख्यिकी, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक विषय के लिए एक कामन प्रवेश परीक्षा होगी और केवल एक योग्यताक्रम सूची बनायी जायेगी।

चिकित्सा विज्ञान संस्थान : (पाठ्यक्रम: एम.एससी. इन् हेल्थ स्टेटिस्टिक्स)

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.
एम. एससी. हेल्थ स्टेटिस्टिक्स	275	15

कृषि विज्ञान संस्थान के पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.	पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.
एम. एससी. (कृषि) / मास्टर आफ एग्री-बिजनेश मैनेजमेंट* / एम. एससी. एग्रोफॉरेस्ट्री* / एम. एससी. स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन*	340*	123 ¹ + 25 ² + 23 ³ + 15 ⁴	एम. एससी. प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ⁺	356	20 30
			एम. एससी. फूड साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ⁺	354	15 30
			एम. टेक. इन् एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग (स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन इंजीनियरिंग) ⁺	355	02 08
* इन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा एम. एससी. (कृषि) की प्रवेश परीक्षा के साथ मिली हैं।			+ अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत।		

टिप्पणी :

- एम. एससी. (कृषि) के लिए 123¹ सीटें; मास्टर आफ एग्री-बिजनेश मैनेजमेंट के लिए (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत) 25² सीटें; सीटें एम. एससी. एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत) 23³ सीटें; और एम. एससी. स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन इंजीनियरिंग के लिए 15⁴ सीटें (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत) होंगी। उपरोक्त वर्णित प्रत्येक अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में अहता शर्तें, शुल्क संरचना, संचालन के स्थान के विवरण हेतु इस सूचना पुस्तिका के खण्ड 'सी' अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों को देखें।
- मास्टर आफ एग्री-बिजनेश मैनेजमेंट, एम. एससी. एग्रोफॉरेस्ट्री एवं एम. एससी. स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन के लिए (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत) प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की न्यूनतम संख्या 10 होंगी।

महिला महाविद्यालय : (पाठ्यक्रम : एम.एससी. बायोइन्फार्मेटिक्स)

पाठ्यक्रम	कूट सं.	सीटों की सं.
एम. एससी. बायोइन्फार्मेटिक्स	493	23 (केवल महिलाओं के लिए)

6. प्रवेश परीक्षा शुल्क

अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ नीचे दी गयी धनराशि का प्रवेश शुल्क अदा करना होगा :

पाठ्यक्रम	प्रवेश परीक्षा शुल्क	
	सामान्य	अ0जा0 / अनु0ज0जा0
समस्त पाठ्यक्रम (इस सूचना पुस्तिका में वर्णित)	रु. 500/-	रु. 200/-

अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी रेखांकित एमआईसीआर (मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉर्डिंग) डिमांड ड्रापट/बैंकर्स चेक जो "परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय" के पक्ष में 'वाराणसी' में देय हो, के प्राध्यम से की जायेगी। अभ्यर्थीगण ध्यान रखें कि केवल एमआईसीआर डिमांड ड्रापट/बैंकर्स चेक (किसी भी बैंक द्वारा जारी) ही स्वीकार किये जायेंगे।

टिप्पणी :

- (i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे एमआईसीआर डिमांड ड्रापट/बैंकर्स चेक के पीछे अपना (अ) नाम, (ब) पाठ्यक्रम का नाम, (स) पाठ्यक्रम कूट संख्या तथा (द) आवेदन पत्र संख्या लिखें। (ii) अ0जा0 / अ0ज0जा0 के अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र की एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें और प्रवेश परीक्षा शुल्क की रियायती दर की सुविधा प्राप्त करने के क्रम में आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ पर श्रेणी का उल्लेख करें। (iii) अ0जा0 / अ0ज0जा0 के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित रियायती दर पर प्रवेश परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र एक बार जमा हो जाने के बाद उसे किसी भी स्थिति में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत विचार नहीं किया जायेगा। (iv) एक बार अदा कर दिया गया प्रवेश परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य पाठ्यक्रम को स्थान्तरित किया जायेगा तथा किसी आगामी वर्ष की परीक्षा के लिए आरक्षित भी नहीं किया जायेगा। (v) अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित कर लें कि एमआईसीआर डिमांड ड्रापट/बैंकर्स चेक वांछित धनराशि का है और अग्रलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है:

- "परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय" के पक्ष में वाराणसी में देय।
- एमआईसीआर डिमांड ड्रापट/बैंकर्स चेक पर स्पष्ट रूप में (अ) जारी करने की तिथि, (ब) जारी करने वाले बैंक का नाम व कूट (कोड) संख्या, (स) अदाकर्ता शाखा का नाम व कूट संख्या, (द) नमूना हस्ताक्षर संख्या के साथ अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर, (य) शब्दों एवं अंकों में धनराशि, का उल्लेख हो।

- एमआईसीआर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के पिछले भाग पर (अ) आवेदक का नाम, (ब) पाठ्यक्रम का नाम, (स) पाठ्यक्रम कूट संख्या तथा (द) आवेदन पत्र संख्या (आवेदन पत्र के शीर्ष भाग पर आवेदन पत्र संख्या दिया गया है) लिखा हो।

महत्वपूर्ण : यदि एमआईसीआर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (किसी बैंक द्वारा जारी) अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण लिखा गया हो या एमआईसीआर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी अयोग्य होगा जब तक कि वह रु. 150/- के एक अतिरिक्त शुल्क के साथ संशोधित एमआईसीआर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक पुनः जमा नहीं कर देता।

7. आवेदन पत्रों के बिक्री एवं प्राप्ति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ

कार्यालय के बिक्री पटल तथा डाक द्वारा आवेदन पत्रों की बिक्री प्रारम्भ होने की तिथि: 15.02.2010

पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन पत्रों को मँगाने हेतु मँग पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि : 26.02.2010

कार्यालय के बिक्री पटल से आवेदन पत्रों की बिक्री की अन्तिम तिथि : 17.03.2010

व्यक्तिगत एवं डाक द्वारा पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्रों के स्वीकृति

(विलम्ब शुल्करहित) की अन्तिम तिथि : 10.03.2010

व्यक्तिगत एवं डाक द्वारा (विलम्ब शुल्क रु. 150/- के साथ) पूर्ण रूप से भरे गये

आवेदन पत्रों के स्वीकृति की अन्तिम तिथि : 17.03.2010

इस वर्ष आन लाइन फार्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। अभ्यर्थी इसके लिए विस्तृत जानकारी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की बेवसाईट www.bhu.ac.in. पर देखें।

टिप्पणी : पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्र के स्वीकृति की अन्तिम तिथि बिना विलम्ब शुल्क के 20.03.2010 है। परन्तु, जो अभ्यर्थीगण अपने आवेदन पत्रों को 20.03.2010 तक या उससे पहले जमा नहीं कर सकेंगे, वे अपना आवेदन पत्र दिनांक 27.03.2010 तक निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त, एमआईसीआर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रु. 150/- के विलम्ब शुल्क के साथ, जो परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पक्ष में वाराणसी में देय हो, जमा कर सकेंगे।

8. प्रवेश परीक्षा केन्द्र

निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी, बशर्ते सम्बन्धित केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध हों :

वाराणसी	दिल्ली	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद
---------	--------	---------	--------	----------

टिप्पणी: (i) एम. म्यूजू., एम. म्यूजिकोलाजी एवं एम.पी.एड., के लिए प्रवेश परीक्षाएँ केवल वाराणसी केन्द्र पर होंगी। (ii) दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को केवल वाराणसी केन्द्र ही आवंटित किया जायेगा। (iii) वाराणसी को छोड़कर किसी भी अन्य परीक्षा केन्द्र को बिना कोई कारण बतलाए निरस्त करने का अधिकार, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। अतः अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में वरीयता क्रम से तीन केन्द्रों का चयन करना चाहिये। (iv) आवेदक ध्यान रखें कि अभ्यर्थी को एक बार आवंटित परीक्षा केन्द्र किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जायेगा। (v) आवंटित परीक्षा केन्द्र का विवरण प्रवेश पत्र में रहेगा। (vi) किसी भी अभ्यर्थी के लिए परीक्षा केन्द्र के आवंटन का अन्तिम निर्णय करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा। (vii) अभ्यर्थियों की अपर्याप्त संख्या और किसी अन्य कारण से किसी भी बाह्य परीक्षा केन्द्र को निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को कोई अन्य केन्द्र आवंटित कर दिया जायेगा।

9. आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र को स्याही वाली पेन या बाल प्वाइंट पेन से बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर) में (हस्ताक्षर और पता को छोड़कर) अपनी हस्तालिपि में भरा जाना चाहिये (पेसिल से भरे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे)। जहाँ कहीं भी कोई सूचना बाक्स में लिखी जानी है तो वहाँ प्रत्येक खाने (बाक्स) में एक ही अक्षर लिखना चाहिये। बड़े अक्षरों में नाम लिखते समय नाम के प्रथम व मध्य शब्दों के बीच, मध्य और अन्तिम शब्दों के बीच या संक्षिप्त नाम के बीच एक बाक्स रिक्त छोड़ना चाहिये। आवेदन पत्र पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म-तिथि का उल्लेख हाईस्कूल/कक्षा 10 प्रमाणपत्र के अनुरूप होना चाहिये। किसी प्रकार की भिन्नता किसी भी समय पायी जाने पर आपकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।

विभिन्न प्रश्नों/बिन्दुओं जो आपसे सम्बन्धित हैं उनके लिए दी जाने वाली सूचनाओं हेतु उन प्रश्नों/बिन्दुओं के समक्ष उपयुक्त गोले को काला करें (बाल प्याइंट पेन द्वारा) जबकि उस प्रश्न/बिन्दु से सम्बन्धित शेष गोलों को खाली छोड़ दें।

टिप्पणी: आवेदन पत्र पर फार्म का नम्बर 'बायें शीर्ष' पर अंकित है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे 'फार्म नम्बर' (रिकार्ड हेतु) याद रखें, जिसकी आवश्यकता भविष्य में पत्राचार हेतु उन्हें पड़ सकती है।

1. पाठ्यक्रम का नाम : विषयों के साथ पाठ्यक्रम का नाम खण्ड 5 के अन्तर्गत दिये गये हैं। पाठ्यक्रम/विषय का नाम स्पष्ट रूप में बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। विवाद की स्थिति में पाठ्यक्रम के साथ विषय का नाम ही अंतिम माना जायेगा। जहाँ एक से अधिक पाठ्यक्रम की कामन प्रवेश परीक्षा होनी है, वहाँ अभ्यर्थीगण सम्बन्धित कामन प्रवेश परीक्षा में समिलित पाठ्यक्रम से आच्छादित (कवर) करने वाले प्रवेश परीक्षा में से किसी एक पाठ्यक्रम के नाम का ही उल्लेख करें।
2. पाठ्यक्रम की कूट संख्या : पाठ्यक्रमों की कूट संख्या खण्ड 5 के अन्तर्गत दी गयी हैं। जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है उसकी उपयुक्त पाठ्यक्रम कूट संख्या निर्धारित उपयुक्त तीन खानों में देना आवश्यक है। ऐसे मामले जहाँ एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए कामन प्रवेश परीक्षा होनी है, वहाँ सम्बन्धित कामन प्रवेश परीक्षा में समिलित पाठ्यक्रमों से आच्छादित (कवर) करने वाले प्रवेश परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों के लिए एकल कूट संख्या आवंटित की गयी है। अभ्यर्थीगण इस कामन कूट संख्या को कामन प्रवेश परीक्षा में समिलित विषयों के लिए भरें। पाठ्यक्रम का नाम और पाठ्यक्रम की कूट संख्या में भिन्नता होने पर पाठ्यक्रम का नाम ही अंतिम माना जायेगा।

उदाहरण : यदि कोई अभ्यर्थी एम. एससी. भौतिक विज्ञान के लिए आवेदक है, तो पाठ्यक्रम का नाम, कूट संख्या निम्न प्रकार से लिखे और गोले में से 3 सम्यक गोलों को काला करें। जैसा नीचे उदाहरण में दिया गया है:

एम. एससी. भौतिक विज्ञान

4	8	1
0	0	0
1	1	●
2	2	2
3	3	3
●	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	●	8
9	9	9

3. फोटोग्राफ : इसके लिए दिये गये खाने में अभ्यर्थी हाल ही में खिचवाया गया अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ चिपकाये। ऐसे आवेदन पत्र जिन पर फोटोग्राफ की जिराक्स प्रति लगी होगी, निरस्त कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश होने की स्थिति में भविष्य में उपयोग हेतु पर्याप्त संख्या में (कम से कम 4 प्रति) अपना यही फोटोग्राफ रखें। सम्पूर्ण मुखाकृति (चेहरे के अग्रभाग की आकृति) को दर्शाने वाला हल्के पृष्ठभूमि का अद्यतन फोटोग्राफ होना चाहिये। आँख एवं कान दिखलायी पड़ने चाहिये। रंगीन अथवा काले चश्मों के साथ खिचवाए गये फोटोग्राफ स्वीकार योग्य नहीं होंगे।

4. माइक्र डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक का विवरण:

इस कार्य हेतु दिये गये निर्धारित खानों में जारी करने वाली शाखा का नाम, पता एवं कूट संख्या (कोड नम्बर), डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या, दिनांक और धनराशि को लिखें।

अभ्यर्थी डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के पीछे भी (अ) अभ्यर्थी का नाम (ब) पाठ्यक्रम का नाम (स)

पाठ्यक्रम का कोड नम्बर (द) आवेदन पत्र संख्या लिखें।

5. अभ्यर्थी का नाम : नाम बड़े अक्षरों में जैसा ऊपर निर्देशित है, शब्दों के बीच खाली स्थान के साथ लिखा जाना चाहिए। नाम के पहले मि., कु., कुमारी इत्यादि न लिखें।

उदाहरण : मान लीजिए कि आपका नाम स्वाति प्रिया निशिकान्त है, तो लिखें –

S	W	A	T	I	P	R	I	Y	A	N	I	S	H	I	K	A	N	T				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

6. पिता का नाम : यहाँ पिता का नाम बड़े अक्षरों में, जैसा ऊपर निर्देशित है, लिखें।

7. माता का नाम : यहाँ माता का नाम बड़े अक्षरों में, जैसा ऊपर निर्देशित है, लिखें।

8. जन्म तिथि : अपने जन्म का दिनांक, माह व वर्ष अंग्रेजी कैलेण्डर के अनुसार तथा हाईस्कूल/सेकेण्ड्री/कक्षा 10 के प्रमाण-पत्र में लिखित जन्म तिथि के अनुसार लिखें।

उदाहरण 1 : यदि 31 मई 1990 को जन्म हुआ है, तो लिखें –

3	1	0	5	1	9	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---

उदाहरण 2 : यदि 5 जून 1990 को जन्म हुआ है, तो लिखें –


0	5	0	6	1	9	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---

उदाहरण 3 : यदि 25 दिसम्बर 1990 को जन्म हुआ है, तो लिखें –

2	5	1	2	1	9	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---

9. लिंग : यदि आप पुरुष हैं, तो पुरुष हेतु निर्मित गोले को काला करें और महिला हेतु दूसरे गोले को खाली छोड़ें। यदि आप महिला हैं, तो महिला हेतु निर्मित गोले को काला करें तथा पुरुष हेतु दूसरे गोले को खाली छोड़ें।

उदाहरण 1 : माना कि आप एक महिला हैं, तो आपका उत्तर होगा–



उदाहरण 2 : माना कि आप एक पुरुष हैं, तो आपका उत्तर होगा–



10. क्या आप अनुसूचित जाति (अ0जा0) श्रेणी से सम्बन्धित हैं : यदि आप अनुसूचित जाति (अ0जा0) श्रेणी के हैं तो 'हाँ' वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ें। यदि आप अनुसूचित जाति (अ0जा0) श्रेणी के नहीं हैं तो 'नहीं' वाले गोले को काला करें और दूसरे गोले को खाली छोड़ें।

11. क्या आप अनुसूचित जनजाति (अ0ज0जा0) श्रेणी से सम्बन्धित हैं : यदि आप अनुसूचित जनजाति (अ0ज0जा0) श्रेणी के हैं तो 'हाँ' वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ें। यदि आप अनुसूचित जनजाति (अ0ज0जा0) श्रेणी के नहीं हैं तो 'नहीं' वाले गोले को काला करें और दूसरे गोले को खाली छोड़ें।

12. क्या आप अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0पि0व0) से सम्बन्धित हैं : यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0पि0व0) के हैं तो 'हाँ' वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ें। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0पि0व0) के नहीं हैं तो 'नहीं' वाले गोले को काला करें और दूसरे गोले को खाली छोड़ें। (टिप्पणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0पि0व0) के अन्तर्गत दावा कर रहे अभ्यर्थी को क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए)।

13. क्या आप का.हि.वि.वि. कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग से सम्बन्धित हैं : यदि आप का.हि.वि.वि. कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग के हैं तो 'हाँ' वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ें। यदि आप का.हि.वि.वि. कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग के नहीं हैं तो 'नहीं' वाले गोले को काला करें और दूसरे गोले को खाली छोड़ें।

14. क्या आप शारीरिक विकलांगता (शा0वि0) वर्ग से सम्बन्धित हैं : यदि आप शारीरिक विकलांगता श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं तो 'हाँ' वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ें और यदि आप शारीरिक विकलांगता वर्ग के नहीं हैं तो 'नहीं' वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ें।

यदि आप शारीरिक विकलांगता वर्ग के हैं तो आप शारीरिक विकलांगता के प्रकार से सम्बन्धित गोले को भी काला करें। उदाहरण के लिए, यदि आप अस्थि विकलांग होने के साथ-साथ दृष्टि विकलांग भी हैं, तो आपको 'अस्थि' एवं 'दृष्टि' विकलांगता वाले गोले को काला करना चाहिए। परन्तु, यदि आप केवल अस्थि

विकलांग हैं तो केवल 'अस्थि' विकलांगता वाले गोले को काला करना चाहिए और दूसरे दो गोलों को खाली छोड़ना चाहिए।

परन्तु, यदि आप शारीरिक विकलांगता वर्ग के नहीं हैं, तो 'अस्थि', 'दृष्टि' एवं 'बधिर' विकलांगता से सम्बन्धित गोलों को खाली छोड़ दें।

15. क्या आप खेल सीट के लिए दावेदार हैं : यदि आप 'खेल सीट' के दावेदार हैं, तो 'हाँ' वाले गोले को काला करें और अन्य गोलों को खाली छोड़ें। यदि आप खेल सीट के लिए दावा नहीं करते हैं, तो 'नहीं' वाले गोले को काला करें और अन्य गोलों को खाली छोड़ दें।

16. क्या आप 'का.हि.वि.वि. छात्र' श्रेणी से सम्बन्धित हैं : यदि आप 'का.हि.वि.वि. छात्र' श्रेणी से सम्बन्धित हैं, तो 'हाँ' वाले गोले को काला करें और अन्य गोलों को खाली छोड़ें। यदि आप 'का.हि.वि.वि. छात्र' श्रेणी से सम्बन्धित नहीं हैं, तो 'नहीं' वाले गोले को काला करें और अन्य गोलों को खाली छोड़ दें।

यदि 'हाँ', तो योग्यताधारी परीक्षा का नाम और उत्तीर्ण होने का वर्ष (यदि उत्तीर्ण हो चुके हैं) या अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने का वर्ष (यदि सम्मिलित हो रहे हैं) लिखें।

उदाहरण : मान लीजिए कि आपने का.हि.वि.वि. से वर्ष 2009 में बी. एससी. (आनर्स) (भौतिक विज्ञान

में आनर्स) उत्तीर्ण की है और आप एम. एससी. (भौतिकी) में प्रवेश चाहते हैं, तो लिखें—

योग्यताधारी परीक्षा का नाम

उत्तीर्ण होने का वर्ष/अन्तिम वर्ष की परीक्षा में

सम्मिलित होने का वर्ष

बी. एससी. (आनर्स) (भौतिकी)

2	0	0	9
---	---	---	---

उदाहरण : मान लीजिए कि आप का.हि.वि.वि. से वर्ष 2010 में एलएल. बी. की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और आप एलएल. एम. में प्रवेश चाहते हैं, तो लिखें

योग्यताधारी परीक्षा का नाम

उत्तीर्ण होने का वर्ष/अन्तिम वर्ष की परीक्षा में
सम्मिलित होने का वर्ष

एलएल. बी.

2	0	1	0
---	---	---	---

टिप्पणी : कोई अभ्यर्थी अ0जा0/अ0जा0जा/अ0पि0व0, का.हि.वि.वि. कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग, शारीरिक विकलांग, 'खेल सीट', का.हि.वि.वि. छात्र' श्रेणियों में से एक से अधिक श्रेणियों का हो सकता है। ऐसी स्थिति में वह सभी सम्बन्धित श्रेणी के 'हाँ' वाले गोले को काला करें।

17. प्रवेश परीक्षा केन्द्रों का चयन : कुल पॉच प्रवेश परीक्षा केन्द्र : वाराणसी, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एवं हैदराबाद हैं। आप अपनी वरीयता के अनुसार किन्हीं तीन केन्द्रों का चयन प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता तथा तृतीय वरीयता के केन्द्रों के रूप में लिखें।

इस सन्दर्भ में, "प्रथम वरीयता" हेतु आप उस नगर से सम्बन्धित गोले को काला करें जो कि परीक्षा केन्द्र के रूप में आपकी प्रथम वरीयता है (उस प्रथम वरीयता के स्तंभ के अन्य चार गोलों को खाली छोड़ें)।

इसी प्रकार "द्वितीय वरीयता" हेतु उस नगर के गोले को काला करें जो आपकी द्वितीय वरीयता हो (उस द्वितीय वरीयता के स्तंभ के अन्य चार गोलों को खाली छोड़ें)। इसी प्रकार "तृतीय वरीयता" हेतु उस नगर के गोले को काला करें जो आपकी तृतीय वरीयता हो (उस तृतीय वरीयता के स्तंभ के अन्य चार गोलों को खाली छोड़ें)।

यद्यपि, आप ध्यान रखें कि (i) एम. म्यूज, एम. म्यूजिकोलॉजी, तथा एम.पी.एड. की परीक्षाएँ केवल वाराणसी केन्द्र पर ही होंगी। (ii) नेत्रहीन अभ्यर्थियों को केवल वाराणसी केन्द्र ही आवंटित किया जायेगा। (iii) बिना कारण बताये वाराणसी केन्द्र छोड़कर किसी भी केन्द्र को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। अतः अभ्यर्थीगण वरीयता के आधार पर चयनित किन्हीं तीन केन्द्रों का अपने आवेदन पत्र में उल्लेख करें (iv) आवेदक कृपया ध्यान रखें कि उन्हें एक बार आवंटित किया गया परीक्षा केन्द्र निरस्त नहीं किया जायेगा। (v) प्रवेश पत्र में आवंटित किये गये परीक्षा केन्द्र के नाम का

- उल्लेख रहेगा। (vi) किसी अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र के आवंटन का अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
18. अभ्यर्थी का नाम और पत्राचार के लिए पूरा पता : यहाँ पर आप स्वयं के हस्तलिपि में पत्राचार के लिए अपना नाम व पूरा पता लिखें।
 ध्यान रखें कि आप द्वारा दिया गया पत्राचार का पता आपके प्रवेश पत्र एवं अन्य पत्र (यदि कोई) हो, तो भेजने हेतु प्रयोग किया जायेगा। अतः यदि आप द्वारा दिये गये पते में कोई भी परिवर्तन होता है तो परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा आपके इस आवेदन पत्र से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के पत्राचार की जानकारी हेतु, आप द्वारा दिये गए पत्राचार के उस पते पर सदैव सम्पर्क में रहें।
19. घोषणा ('घोषणा' के नीचे हस्ताक्षर सहित) : घोषणा को सावधानी के साथ पढ़ें और उसके बाद अपने सामान्य हस्तलिपि में हस्ताक्षर करें। इसके साथ ही 'घोषणा' में दिये गये निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ तिथि व स्थान का नाम भी लिखें।
20. अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर : यहाँ पर आप हस्ताक्षर हेतु दिये गये खाने (बाक्स) के अन्दर अपने स्वयं की हस्तलिपि में हस्ताक्षर करें। इस हस्ताक्षर को प्रवेश पत्र तैयार करने में प्रयोग किया जायेगा।
21. अभ्यर्थी का पूर्ण स्थायी पता : यहाँ आप टेक्स्ट फार्म में हस्तलिपि में अपना नाम और पूरा स्थायी पता, अर्थात् प्रत्येक खाने में अंग्रेजी का केवल एक बड़ा अक्षर ही लिखें (जैसा कि नाम, पिता का नाम और माता का नाम लिखा है)।
- सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए सूचना
22. आपके राज्य की कूट संख्या (जैसा सूचना पुस्तिका में दिया गया है) : इस बिन्दु के सामने दिये गये दो खानों में जिस राज्य से आप सम्बन्धित हैं उस राज्य की कूट संख्या लिखें। राज्यों के नाम एवं कूट (कोड) संख्या नीचे दिये गये हैं। यह सूचना केवल सांख्यिकीय आकड़ों के उद्देश्य के लिए है।
- | राज्य | कूट संख्या | |
|-----------------|------------|---|
| उत्तर प्रदेश | 1 | 1 |
| बिहार | 1 | 2 |
| झारखण्ड | 1 | 3 |
| पश्चिम बंगाल | 1 | 4 |
| आन्ध्र प्रदेश | 1 | 5 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1 | 6 |
| आसाम | 1 | 7 |
| छत्तीसगढ़ | 1 | 8 |
| गोआ | 1 | 9 |
| गुजरात | 2 | 0 |
| हरियाणा | 2 | 1 |
| हिमांचल प्रदेश | 2 | 2 |
| जम्मू और कश्मीर | 2 | 3 |
| कर्नाटक | 2 | 4 |
| केरल | 2 | 5 |
| मध्य प्रदेश | 2 | 6 |
- | राज्य | कूट संख्या | |
|--------------------------|------------|---|
| महाराष्ट्र | 2 | 7 |
| मणिपुर | 2 | 8 |
| मेघालय | 2 | 9 |
| मिजोरम | 3 | 0 |
| नागालैंड | 3 | 1 |
| उडीसा | 3 | 2 |
| पंजाब | 3 | 3 |
| राजस्थान | 3 | 4 |
| सिविकम | 3 | 5 |
| तमिलनाडु | 3 | 6 |
| त्रिपुरा | 3 | 7 |
| डतरांचल | 3 | 8 |
| चंडीगढ़ | 3 | 9 |
| दिल्ली | 4 | 0 |
| अन्य केन्द्र शासित राज्य | 4 | 1 |
23. आपका सामान्य निवास स्थान : आप उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो और अन्य गोलों को खाली रहने दें।
24. धर्म : आप उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो और अन्य गोलों को खाली रहने दें।
25. रक्त समूह (यदि ज्ञात हो) : आप उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो और अन्य गोलों को खाली रहने दें।
26. जाति वर्ग : आप उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो और अन्य गोलों को खाली रहने दें।
27. माता-पिता/अभिभावक की औसत मासिक आय (लगभग रु. में) : उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो और अन्य गोलों को खाली रहने दें।

28. का.हि.वि.वि. से आपके आवास की दूरी (लगभग कि.मी. में) : उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो और अन्य गोलों को खाली रहने दें।

टिप्पणी : अभ्यर्थीगण आवेदन—पत्र में दिये गये सभी स्तम्भों को अपनी हस्तलिपि में भरें। यदि किसी भी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि आवेदन—पत्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थीनी द्वारा स्वहस्तलिपि में भरा/हस्ताक्षरित नहीं किया गया है तो उसका/उसकी आवेदन—पत्र एवं पात्रता निरस्त कर दी जायेगी। आप प्रत्येक आवेदन—पत्र के साथ जमा किए जा रहे संलग्नकों की सूची भी अवश्य भरें। एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थीगण प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक पत्रावलियाँ अलग—अलग संलग्न करें।

10. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूची

1. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों को अवश्य संलग्न करें :

- (i) निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क के लिए “परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय” के पक्ष में केवल वाराणसी में देय एमआईसीआर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (किसी भी बैंक द्वारा जारी)।
- (ii) आवेदन पत्र में आरक्षण के लिए श्रेणी की दावेदारी के समर्थन में प्रमाण पत्र :
 - (अ) सूचना पुस्तिका के खण्ड 4 में वर्णन के अनुसार सक्षम अधिकारी से प्राप्त जातीय प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि (केवल ००जा०/००ज०जा०/००पि०व. श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए)।
 - (ब) जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र (केवल शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए)।
 - (स) निदेशक/संकायाध्यक्ष/प्राचार्य म.म.वि./विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा जारी का.हि.वि.वि. कर्मचारी प्रतिपाल्य प्रमाण पत्र (का.हि.वि.वि. के स्थायी कर्मचारियों के पुत्र एवं पुत्रियों के लिए)। इस खण्ड के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में इस दावा की पुष्टि विश्वविद्यालय के अभिलेखों से की जाएगी। स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के स्थायी कर्मचारियों पुत्र एवं पुत्रियों हेतु सम्मिलित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - (द) ‘खेल सीट’ के समर्थन में प्रमाण पत्र(त्रों) की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि (यदि खेल सीटों के लिए दावेदार है)।
 - (य) स्व प्रमाणित उच्चतम स्तर के खेलकूद में प्रतियोगिता सम्बन्धित प्रमाणपत्र की छायाप्रति (केवल एम. पी. एड. अभ्यर्थियों हेतु)।

2. अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित करें :

- (अ) आवेदन पत्र (निर्धारित लिफाफा में रखें)।
- (ब) (i) निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क के लिए एमआईसीआर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (किसी भी बैंक द्वारा जारी) “परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय” के पक्ष में केवल वाराणसी में देय।
- (ii) आरक्षण/अतिरिक्त सीटों (यदि कोई हो) के लिए श्रेणी के समर्थन में सभी प्रमाण पत्र(त्रों) की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

टिप्पणी : अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रपूरित आवेदन पत्र, एमआईसीआर डिमांड ड्राफ्ट एवं अन्य प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), को इस कार्य हेतु दिये गए ‘लिफाफे’ में भरें। कृपया ध्यान रखें कि डिमांड ड्राफ्ट एवं अन्य प्रमाण पत्रों (कोई हो) को आवेदन पत्र के साथ नथी (स्टेपल) न करें। आवेदन पत्र को लिफाफे में इस प्रकार रखें कि आवेदन पत्र सख्त लिफाफे की कटी खिड़की से दिखलायी पड़े।

11. आवेदन पत्र अस्वीकार करने के कारण

- (i) प्रवेश परीक्षा के लिए वांछित धनराशि का “परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय” के पक्ष में एमआईसीआर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक का जमा न करना।
- (ii) आरक्षण/सुपरन्यूमरेरी सीटों के लिए श्रेणी का समर्थक प्रमाण पत्र(त्रों) (यदि कोई हो) की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों का जमा न करना।
- (iii) आवेदन पत्र पर फोटोग्राफ चिपका कर जमा न करना (फोटोग्राफ की फोटोस्टेट प्रतिलिपि भी आवेदन पत्र निरस्त करने का कारण है)।

- (iv) आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का न होना।
- (v) आवेदन पत्र और / या समर्थक अभिलेखों में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करना।
- (vi) पूर्व में किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा भरे गये आवेदन पत्र की प्रविष्टियों को मिटाकर अभ्यर्थी द्वारा उसी आवेदन पत्र को भर कर जमा करना।
- (vii) अ0जा0 / अ0ज0जा0 श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित रियायती दर पर प्रवेश परीक्षा शुल्क एक बार जमा हो जाने के बाद किसी भी स्थिति में 'सामान्य श्रेणी' के अन्तर्गत स्वीकार नहीं की जायेगी।

टिप्पणी : यदि किसी भी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय नियमों के अन्तर्गत किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए योग्य नहीं है तो उसकी पात्रता स्वतः निरस्त हो जायेगी। कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र, न्यूनतम आवश्यक अर्हताएँ, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के समर्थन में मूल अभिलेखों, श्रेणी दावेदारी की विस्तृत जाँच केवल प्रवेश के समय (यदि इसके लिए बुलाया जाता है) की जायेगी। यदि वह प्रवेश के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करता, तो उस स्तर पर भी अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त समझी जायेगी ।

12. परीक्षण सूची

आवेदन पत्र जमा करने/भेजने के पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं की पूर्णतया जाँच अवश्य करें :

- (i) क्या आपने निर्धारित स्थान पर अद्यतन रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका दिया है ?
 - (ii) क्या आपने आवेदन पत्र के सभी स्तंभों को अच्छी प्रकार से सावधानी पूर्वक जाँच किया है ? कोई स्तम्भ खाली तो नहीं छूटा है ?
 - (iii) क्या आपने यथोचित स्थान पर हस्ताक्षर किया है ?
 - (iv) क्या आपने प्रवेश परीक्षा के लिए वांछित धनराशि का एमआईसीआर डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक (बैंक द्वारा जारी) "परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय" के पक्ष में संलग्न किया है ?
 - (v) क्या आपने आरक्षण(णों) / अतिरिक्त सीटों के लिए समर्थक अभिलेख संलग्न किये हैं ?
 - (vi) क्या आपने बोनस अंक प्राप्त करने हेतु अपने द्वारा उच्चतम स्तर के खेलकूद प्रतिभागिता सम्बन्धित स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया है (केवल एम.पी.एड. अभ्यर्थियों के लिए)।
- टिप्पणी : आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करना याद रखें ।

13. आवेदन पत्र जमा करना

- (i) पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्र को इस कार्य हेतु आवेदन पत्र साथ में दिये गये लिफाफे में भरकर परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 10.03.2010 या उसके पूर्व तक (बिना किसी विलम्ब शुल्क के) जमा किये जा सकते हैं। अथवा, आप पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन—पत्र को डाक / कोरियर द्वारा भी भेज सकते हैं, जो परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी—221 005 के कार्यालय में 10.03.2010 (बिना किसी विलम्ब शुल्क के) तक अवश्य पहुँच जाए। परन्तु, ऐसे अभ्यर्थी जो अपना आवेदन पत्र दिनांक 10.03.2010 या उसके पूर्व तक जमा नहीं कर सकेंगे, वे अपना आवेदन पत्र का.हि.वि.वि. परीक्षा नियंता कार्यालय के पटल पर स्वयं जमा कर रहे हैं, उन्हें पावती पत्र दिया जायेगा।
- (ii) आवेदन पत्र परीक्षा नियंता कार्यालय के पटल पर बिना किसी जाँच के लिये जायेंगे। उन की वैधता बाद में की गयी जाँच पर निर्भर होगी।
- (iii) किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (iv) अपूर्ण आवेदन पत्र, ऐसे आवेदन पत्र जिन पर घोषणा के नीचे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर नहीं किया गया हैं, तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा। आवेदन पत्र जिन पर अभ्यर्थियों की फोटो नहीं लगी हैं अथवा फोटो की छायाप्रति लगी है, उन पर भी विचार नहीं किया जायेगा। डाक / कोरियर में देरी अथवा आवेदन पत्र खोने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी। इस वर्ष आन लाइन फार्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। अभ्यर्थी इसके लिए विस्तृत जानकारी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की बेवसाईट www.bhu.ac.in. पर देखें।

14. प्रवेश पत्र का प्रेषण

प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थी को अस्थायी प्रवेश पत्र दर्शाये गये परीक्षा केन्द्र के नाम के साथ केवल पंजीकृत डाक/त्वरित डाक से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पर अपनी हास्तलिपि में लिखे गये पते पर ही भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर स्पष्ट अक्षरों में पिन कोड सहित अपने पत्राचार का पूरा पता लिखे, जहाँ वे अप्रैल–मई माह में प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये गलत अथवा अपूर्ण पते के कारण हुई देरी अथवा डाक/कोरियर पारगमन में देरी अथवा आवेदन पत्र खोने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश पत्र या कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो उसे परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से फोन नं. 0542–2368418, 0542–2307255, 0542–2307256, 0542–2307257 पर सम्पर्क करना चाहिये। वाराणसी केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित हो रहा अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा प्रारम्भ होने के एक दिन पूर्व यथोचित प्रमाण पत्र एवं एक स्वप्रमाणित फोटोग्राफ (जैसा ही जैसा कि आवेदन पत्र पर चिपकाया है) देकर परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। वाराणसी के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घंटे पूर्व संबंधित केन्द्राध्यक्ष से यथोचित अभिलेखों तथा एक प्रति फोटोग्राफ (जैसा कि आवेदन पत्र में चिपकाया है) प्रस्तुत करके, प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण : अभ्यर्थी प्राप्त किये गये प्रवेश पत्र तथा उसमें दी गयी सभी सूचनाओं को सावधानीपूर्वक जॉच लें। किसी भी भिन्नता के मामले में अभ्यर्थी तत्काल परीक्षा नियंता को सूचित करें।

परीक्षा नियंता कार्यालय का.हि.वि.वि. द्वारा सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि निर्गत नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा योजना बनायी जा रही है कि अभ्यर्थीगण अपना प्रवेश पत्र इन्टरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकें। ऐसे अभ्यर्थी जिनको परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, वे उपरोक्त सुविधा की स्थिति जानने के लिए विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.bhu.ac.in का अवलोकन करें। यदि यह सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बेवसाइट में दिये गये निर्देशों का पालन कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

टिप्पणी :

- (i) प्रवेश परीक्षाएँ 20.05.2010 और 09.06.2010 के बीच सपन्न होंगी। प्रवेश परीक्षाओं के कार्यक्रम इस सूचना पुस्तिका के अंत में दिये गये हैं। स्थान से संबंधित जानकारी प्रवेश पत्र के साथ भेजी जायेगी।
- (ii) परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत वैध प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (iii) परीक्षार्थियों को प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, परीक्षा के बाद अपना प्रवेश पत्र सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
- (iv) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश से संबंधित सभी मामलों में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

15. प्रवेश परीक्षा की अवधि एवं प्रश्न–पत्र का प्रारूप

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

1. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग–अलग परीक्षाएँ होंगी, यद्यपि, कुछ पाठ्यक्रमों के लिए कामन परीक्षा भी होगी (जैसा कि नीचे दिया गया है)।

कामन प्रवेश परीक्षा	आच्छादित पाठ्यक्रम (कोर्सेज कवर्ड)
I	एम. एससी. टेक. भूगर्भ विज्ञान (सामान्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) एवं एम. एससी. पेट्रोलियम जीओसाइन्स (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)

II	एम. एससी. (कृषि) (व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत); मास्टर ऑफ एग्री बिजेनेस मैनेजमेंट (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत); एम. एससी. एग्रोफोरस्ट्री (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत); एम. एससी. स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)
III	मास्टर ऑफ फाइनेन्स कन्ट्रोल (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)/ मास्टर ऑफ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एण्ड प्रमोशन (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)/ मास्टर ऑफ रिस्क एण्ड इंस्योरेंस मैनेजमेंट (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)

2. कामन प्रवेश परीक्षा वाले ऐसे पाठ्यक्रमों के सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश अभ्यर्थी के योग्यताक्रम (आम प्रवेश परीक्षा में मेरिट) और परामर्श के समय उसके द्वारा पाठ्यक्रम(मों) के लिए दिये गये चयन/वरीयता और पाठ्यक्रम के लिए उसके/उसकी पात्रता के आधार पर की जायेगी।

3. अभ्यर्थी के ऐसे मामले में जिसमें एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन पर विचार करने की वरीयता चाहता है, जिसके लिए अलग प्रवेश परीक्षा होनी है, तो वह प्रत्येक ऐसे पाठ्यक्रम के लिए अलग से आवेदन करेगा/करेगी, बशर्ते परीक्षा अलग—अलग तिथियों पर आयोजित हों (प्रवेश परीक्षा की सारिणी देखें)।

4. सम्मिलित / कामन प्रवेश परीक्षा में मात्र सम्मिलित होना किसी अभ्यर्थी के लिए सम्मिलित कामन प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत आच्छादित पाठ्यक्रम(मों) में प्रवेश हेतु विचार के लिए अधिकारी नहीं होगा, जब तक कि वह उन पाठ्यक्रम(मों) के लिए पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है।

विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षा संरचना नीचे दी गयी है :

(i) आचार्य :

इसमें सम्बन्धित विषय के स्नातक स्तर पर आधारित 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(ii) एम. ए. इन् मास कम्यूनिकेशन :

इसमें सामान्य ज्ञान एवं वर्तमान मामले; अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता सहित भाषाई प्रवीणता और तार्किक परिमाणात्मक एवं विश्लेषण क्षमताएँ; और अभिक्षमता (रुझान) (प्रतिशत, तालिकाएँ, ग्राफ्स, इत्यादि से अनुमान) पर 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।।

(iii) एम. लिब. आई. एससी. (मास्टर आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्कार्मेसन साइंस) :

इसमें 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। ये प्रश्न सामान्य जागरूकता, विश्लेषणात्मक, परिमाणात्मक और मौखिक प्रवीणता एवं अभिक्षमता पर आधारित होंगे। प्रश्न दैनिक जीवन की गतिविधियों से लेकर शैक्षणिक अभिरुचि, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी, इत्यादि के व्यापक श्रेणी तक के विभिन्न क्षेत्रों के विविध अनुभवों से जुड़े होंगे। इनका मानक स्नातक उपाधि (न्यूनतम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत) के समान होगा।

(iv) एम.पी.एड. (मास्टर आफ फिजिकल एजुकेशन) :

इसमें (अ) शारीरिक शिक्षा एवं शैक्षिक मनोविज्ञान के सिद्धान्त, संगठन, विधियाँ, शारीरिक शिक्षा की सामग्रियाँ एवं पर्यवेक्षण, कोचिंग एवं आफिसियेटिंग के सिद्धान्त, एनाटॉमी एवं शरीर किया विज्ञान, किनेसियोलॉजी, एथलेटिक चोटों की देख भाल एवं स्वास्थ्य शिक्षा, मनोरंजन, शिविर एवं शारीरिक शिक्षा का इतिहास पर आधारित 300 अंकों का 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 90 मिनट की अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा और (बी) 300 अंकों का फिजिकल फिटनेस परीक्षण (माडिफाइड एण्ड चर्चीरीझआर फिटनेस टेस्ट) परीक्षा नियंता द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों द्वारा शारीरिक शिक्षा विभाग, का.हि.वि.वि., वाराणसी में परीक्षा नियंता अथवा उनके प्रतिनिधि(यों) के पर्यवेक्षण में आयोजित होगी।

नोट: 1. अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु अर्ह होने हेतु लिखित एवं फिजिकल फिटनेस परीक्षण दोनों में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

2. अभ्यर्थी को खेलकूद हेतु बोनस अंक प्राप्त करने के गणना हेतु फिजिकल फिटनेस परीक्षण के समय अपने द्वारा उच्चतम स्तर के खेलकूद प्रतिभागिता सम्बन्धित प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी दिखाना होगा।

3. फिजिकल फिटनेस परीक्षण का कन्वर्जन फारमूला परीक्षण के समय उपलब्ध रहेगा।

(v) एम. ए. (म्यूजिओलॉजी) :

इसमें स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए निर्धारित प्रा.भा.इ.सं. व पुरा. (प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति व पुरातत्त्व), कला इतिहास, संस्कृत एवं अन्य सम्बद्ध विषयों पर 300 अंकों का 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 90 मिनट की अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(vi) एम. ए. प्रयोजनमूलक हिन्दी (पत्रकारिता) :

इसमें मानव आधिकारों एवं पर्यावरणीय चैतन्यता सहित सामान्य ज्ञान एवं वर्तमान मामले; परिमाणात्मक अभिक्षमता, भाषायी प्रवीणता एवं प्राथमिक हिन्दी व्याकरण, संविधान में हिन्दी, हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि का मानकीकरण, मीडिया में उपयोग हो रहे तकनीकी हिन्दी शब्द, सामान्यतौर पर कार्यालयी पत्राचार में उपयोग किये जाने वाले शब्दों/पदों का अंग्रेजी-हिन्दी अनुवाद; भारतीय पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास पर 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट की अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(vii) एम. ए. टूरिज्म मैनेजमेंट (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) :

इसमें अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किकता, वर्तमान मामले, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, इतिहास, कला इतिहास, पर्यटक क्षेत्र एवं गन्तव्य स्थल, खेल, सिनेमा, संगीत व नृत्य से सम्बन्धित 300 अंकों का 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 90 मिनट की अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। यद्यपि, पाठ्यक्रम में दाखिला प्रवेश परीक्षा के अंकों, समूह चर्चा और साक्षात्कार (समूहचर्चा एवं साक्षात्कार के लिए सम्मिलित भारांक लिखित परीक्षा के कुल अंकों का 20%, अर्थात् 60 अंक होंगे) में अंकों से निर्मित मिश्रित योग्यता के आधार पर होगी। साक्षात्कार एवं समूह चर्चा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या, योग्यताक्रम में बुलाने के लिए प्रवेश समिति द्वारा निर्णय किया जायेगा।

(viii) एम. ए. सोसल वर्क (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) :

इसमें सामान्य ज्ञान, अभिक्षमता एवं तार्किकता, अनुसंधान विधियों का प्राथमिक ज्ञान, भारतीय सामाजिक समस्या एवं उनका उपचार, एनजीओज़ की जानकारी, सामाजिक आर्थिक विकास की प्रकृति एवं गतिकी, नीति एवं योजना, सामाजिक कार्य के क्षेत्र, इत्यादि पर आधारित 300 अंकों का 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट की अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(ix) एम. ए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम) :

इसमें सामान्य ज्ञान, लोक प्रशासन, सार्वजनिक एवं निजी प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, लोक प्रशासन की पारिस्थितिकी, संगठन के सिद्धान्त एवं आधार, प्रबंधन, अधिकारी तंत्र, बजट, योजना, प्रत्यायोजित विधान और प्रशासन पर नियन्त्रण के विविध प्रकार पर आधारित 300 अंकों का 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट की अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(x) समस्त एम. ए. [उपरोक्त (II से IX) के अतिरिक्त] :

इसमें सम्बन्धित विषय में स्नातक स्तर पर आधारित 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xi) एम. एससी. हेल्थ स्टेटिक्स :

इसमें 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। 150 प्रश्नों में से 125 बहुविकल्पी प्रश्न स्नातक स्तर के अन्तर्गत पढ़ाये गये सांख्यिकी पाठ्यक्रम से होंगे और शेष 25 प्रश्न जीवन विज्ञान में प्रयोग प्रयुक्त होने वाले सांख्यिकीय तकनीकों पर आधारित होंगे।

एम. एससी. बायोइन्फार्मेटिक्स :

इसमें 450 अंकों का 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में स्नातक स्तर के 200 बहुविकल्पी प्रश्न, (अ) जीव विज्ञान, (ब) भौतिकी, (स) रसायन विज्ञान और (द) गणितीय विज्ञान (अ, ब, स और द खण्ड में प्रत्येक में 50 प्रश्न) से, होंगे। एक अभ्यर्थी को किन्हीं तीन खण्डों से प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करना आवश्यक होगा।

(xii)) एम. एससी. मॉलीक्यूलर एण्ड ह्यूमन जेनेटिक्स (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) :

इसमें भौतिक विज्ञानों (भौतिकी – सीनियर सेकेन्डरी स्तर, रसायनशास्त्र – बी. एससी स्तर), जीव विज्ञान (बी. एससी. स्तर), कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, जैव रसायन एवं जैव प्रौद्योगिक (बी. एससी. स्तर) पर आधारित 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xiii) एम. ए./एम. एससी. (गणित, सांख्यिकी), एम. एससी. (भौतिकी, रसायन विज्ञान), एम. एससी. (टेक.) भूभौतिकी, एम. काम. :

इसमें सम्बन्धित विषय के स्नातक स्तर पर आधारित 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। परन्तु एम. एससी. (टेक.) भू-भौतिकी के लिए प्रश्न स्नातक स्तर के भौतिकी एवं गणित (समान अनुपात में) से होंगे।

(xiv) एम. एससी.एप्लाइड माइक्रोबायलॉजी (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) :

इसमें 450 अंकों का 150 मिनट की अवधि वाला एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में स्नातक स्तर के (अ) जीव विज्ञान, (ब) रसायन विज्ञान और (स) सूक्ष्मजैविकी पर स्नातक स्तर के 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।

(xv) एम. एससी. (टेक.) इन्विरान्मेटल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) :

इसमें स्नातक स्तर के 450 अंकों के 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। (50 प्रश्न) सामान्य विज्ञान और पर्यावरणीय अभियांत्रिकी और पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (100 प्रश्न) पर होंगे।

(xvi) एम. एससी. इन्विरान्मेटल साइंस (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) :

इसमें 120 मिनट का 360 अंकों का अ एवं ब खण्डों वाला बहुविकल्पी स्नातक स्तरीय आधारित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को दोनों खण्डों को करना होगा। खण्ड अ में प्राथमिक पर्यावरण विज्ञान से 30 प्रश्न और रसायन विज्ञान से 60 प्रश्न होंगे। खण्ड ब में तीन उपखण्ड; जिनके नाम हैं, जीवन विज्ञान, भौतिकी एवं भूगर्भ विज्ञान के साथ प्रत्येक उपखण्ड में 30 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए खण्ड ब के तीन उपखण्डों में से किसी एक को चुनना होगा।

(xvii) एम. एससी. (टेक.) जीओलॉजी और एम. एससी. पेट्रोलियम जीओसाइंसेज के लिए आम परीक्षा (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) :

इसमें 450 अंकों का सम्बन्धित विषय के स्नातक स्तर पर आधारित 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xviii) समस्त एम. एससी. [उपरोक्त (XI से XVI) के अतिरिक्त] :

इसमें 450 अंकों का सम्बन्धित विषय के स्नातक स्तर पर आधारित 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xix) एम.सी.ए. :

इसमें गणितीय अभिक्षमता (लगभगत 100 प्रश्न) और विश्लेषणात्मक एवं तार्किक क्षमता (लगभग 50 प्रश्न) पर 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

गणितीय अभिक्षमता परीक्षण क्षेत्र (+2स्तर) : लॉगरिथम, इनइक्वेलिटीज, मैट्रिक्स एवं डिटर्मिनेन्ट्स, प्रोग्रेसन, बायोनामियल एक्सपेंसन, परम्यूटेशन एवं कम्बिनेशन, इक्वेशन (2 डिग्री तक), फंक्शन एवं रिलेशन, काम्प्लेक्स एरिथमेटिक, 2-डी कोआर्डिनेट जीओमेट्री, बेसिक्स ऑफ कैल्कुलस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राबेबिलिटी।

विश्लेषणात्मक एवं तार्किक क्षमता : प्रश्न मुख्यरूप से तार्किक निष्कर्ष को जाँचने, ग्राफिकल/डाटा इंटरप्रिटेशन इत्यादि के लिए होंगे।

(xx) एलएल. एम.

इसमें न्याय शास्त्र, संवैधानिक कानून, संविदा का नियम, यंत्रणा कानून, अपराध कानून, पर्यावरणीय कानून, अन्तर्राष्ट्रीय जन कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि पर 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxi) एलएल. एम. कोर्स इन् ह्यूमन राइट एण्ड ड्यूटीज् एजुकेशन (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) :

इसमें न्याय शास्त्र, संवैधानिक कानून, अपराध कानून, पर्यावरणीय कानून, अन्तर्राष्ट्रीय जन कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अपराध प्रक्रिया संहिता, मानवाधिकार कानून तथा कानून व बच्चा तथा कानून व महिलाएँ पर 450 अंकों का 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxii) एम.एफ.ए. :

इसमें बी.एफ.ए. स्तर पर सम्बन्धित विषय की सामग्रियाँ एवं विधियाँ और कला इतिहास से सम्बन्धित 300 अंकों का 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 90 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxiii) एम. म्यूज. हिंकल/इन्स्ट्रूमेंटल (वाद्ययंत्र; सितार, बॉसुरी, वायलिन, तबला)/डान्स (कथक/भरत नाट्यम) :

इसमें का०हि०वि०वि० के बी. म्यूज. स्तर पाठ्यक्रम अथवा अन्य विश्वविद्यालय का समकक्ष पाठ्यक्रम का 300 अंकों के 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक लिखित परीक्षा होगी। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 600 अंकों वाला 45 मिनट अवधि की एक प्रायोगिक परीक्षा (प्रदर्शन एवं मौखिकी) भी होगी। लिखित एवं व्यावहारिक परीक्षाओं को मिलाकर अंकों की कुल संख्या 900 होगी।

टिप्पणी : (1)प्रवेश के लिए विचार हेतु पात्रता के क्रम में लिखित एवं प्रायोगिक, दोनों परीक्षाओं, में भाग लेना अनिवार्य है।

(2) लिखित और प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं के अंकों को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।

(xxiv) एम. म्यूजिकोलॉजी :

इसमें 450 अंकों के 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र और 450 अंकों का 45 मिनट अवधि की एक व्यावहारिक परीक्षा (प्रदर्शन एवं मौखिकी) होगी।

सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र राग, ताल, संगीत पैमाना, संगीत के रूप संगीत के उपकरण, संगीत का इतिहास एवं सिद्धान्त, संगीत की दार्शनिक अवधारणाएँ, संगीत में मनोवैज्ञानिक पक्ष, वर्तमान संगीत अवसरों पर समान्य ज्ञान एवं सौन्दर्यबोध की विभिन्न अवधारणाओं पर आधारित होंगी।

(xxv) एम. एड. :

इसमें बी. एड. या समकक्ष पाठ्यक्रम पर आधारित 450 अंकों के 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में भाषायी प्रवीणता पर बहुविकल्पी प्रश्नों के दो समूह भी होंगे, हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक-एक, जहाँ अभ्यर्थी के लिए हिन्दी भाषा समूह अथवा अंग्रेजी भाषा समूह से उत्तर देने की आवश्यकता होगी, परन्तु दोनों से नहीं देना है।

(xxvi) एम. एड. (स्पेशल) वी. आई. :

इसमें बी. एड. (स्पेशल) वी.आई. या समकक्ष पाठ्यक्रम पर आधारित 450 अंकों के 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में भाषायी प्रवीणता पर बहुविकल्पी प्रश्नों के दो समूह भी होंगे, हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक-एक, जहाँ अभ्यर्थी के लिए हिन्दी भाषा समूह अथवा अंग्रेजी भाषा समूह से उत्तर देने की आवश्यकता होगी, परन्तु दोनों से नहीं देना है।

(xxvii) एम. एससी. (कृषि) फूड साइंस एण्ड टेक्नोलोजी (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) :

इसमें कृषि, दुग्ध प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, कृषि अभियांत्रिकी, दुग्ध रसायन, दुग्ध सूक्ष्मजैविकी, इत्यादि विषयों से स्नातक स्तरीय 360 अंकों का 120 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxviii) एम. एससी. प्लांट बायोटेक्नोलोजी (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) :

इसमें बी. एससी. (कृषि) / जीवविज्ञान के साथ बी.एस.सी./बी. एससी. (जैव प्रौद्योगिकी) पर आधारित 360 अंकों का 120 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxix) एम.टेक. एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग (स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन इंजीनियरिंग) (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) :

इसमें बी. टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) / बी. ई. (कृषि अभियांत्रिकी) पर आधारित 360 अंकों का 120 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxx) कामन प्रवेश परीक्षा एम. एससी. (कृषि) / मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) / एम. एससी. (कृषि) स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) / एम. एससी.एग्रोफारेस्ट्री (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) हेतु :

इसमें बी. एससी. (कृषि) पाठ्यक्रम पर आधारित 360 अंकों के 120 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट अवधि का एक प्रश्न पत्र होगा।

(xxxi) मास्टर आफ परसोनेल मैनेजमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन्स (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) :

इसमें तर्कशक्ति का परीक्षण, डाटा इंटरप्रिटेशन व आंकिक योग्यता, अंग्रेजी में दक्षता, योग्यता परीक्षण, सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता पर आधारित 300 अंकों के 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट की अवधि की एक लिखित परीक्षा होगी। यद्यपि, पाठ्यक्रम में प्रवेश का आधार प्रवेश परीक्षा, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार

(समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के लिए कम्पोजिट वेटेज लिखित परीक्षा के कुल अंकों का 20% अर्थात् 60 अंक होगा) में अंकों से निर्मित कम्पोजिट मेरिट के अनुसार होगा। योग्यता के क्रम में, साक्षात्कार एवं समूह चर्चा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्णय प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा।

(xxxii) कामन प्रवेश परीक्षा फॉर मास्टर ऑफ फाइनेन्स कन्ट्रोल/मास्टर ऑफ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एण्ड प्रमोशन/मास्टर ऑफ रिस्क एण्ड इन्स्योरेन्स मैनेजमेंट (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) हेतु :

इसमें 450 अंकों के 150 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 150 मिनट की अवधि का एक प्रश्नपत्र होगा, जो निम्नलिखित प्रकार से तीन खण्डों में विभाजित होगा :

I. खण्ड-1: शैक्षणिक योग्यता (हिन्दी/अंग्रेजी) शब्द भण्डार, व्यवहार, व्याकरण, मुहावरे, वाक्यांश, वाक्यों को पूरा करना एवं सुधार इत्यादि के ज्ञान से।

II. खण्ड-2: आंकिक एवं परिमाणात्मक तार्किक क्षमता, संगणना की योग्यता, एवं परिमाणात्मक तार्किक एवं तालिकाओं की व्याख्या।

III. खण्ड-3: सामान्य ज्ञान— अर्थशास्त्र, राजनीतिक, वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और संस्कृतिक ज्ञान, विशेषतया वर्तमान परिपेक्ष्य में।

(xxxiii) एमबीए एग्री-बिजनेस (अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के अन्तर्गत) : इसमें तर्कशक्ति का परीक्षण, डाटा इंटरप्रिटेशन व आंकिक योग्यता, अंग्रेजी में दक्षता, योग्यता परीक्षण, सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता पर आधारित 300 अंकों के 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट की अवधि की एक लिखित परीक्षा होगी। यद्यपि, पाठ्यक्रम में प्रवेश का आधार प्रवेश परीक्षा, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार (समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के लिए कम्पोजिट वेटेज लिखित परीक्षा के कुल अंकों का 20% अर्थात् 60 अंक होगा) में अंकों से निर्मित कम्पोजिट मेरिट के अनुसार होगा। योग्यता के क्रम में, साक्षात्कार एवं समूह चर्चा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्णय प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा।

(xxxiv) एम. ए. कॉन्फिलक्ट मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट : इसमें भारत में एवं वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से केन्द्रित कॉन्फिलक्ट स्थितियों का सामान्य ज्ञान, अभिक्षमता, तर्कशक्ति एवं समसामयिक मुद्दों की जानकारी पर आधारित 300 अंकों के 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाले 120 मिनट की अवधि की एक लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी को सामान्यतौर पर शान्ति, संघर्ष, सुरक्षा एवं विकास के मुद्दों के बारे में भी कुछ ज्ञान होना चाहिए।

टिप्पणी :

1.एलएल. एम, एलएल. एम (एचआरडीई), एम. लिब. एण्ड इन्फार्मेशन साइन्स, एमबीए {एग्री बिजनेस}, एम. एससी. (कृषि), एमसीए एवं समस्त एम. एससी. (कामन विषयों को छोड़कर)} एम. ए. मास कम्यूनिकेशन के लिए प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे।

2.एम. ए./एम. एससी. (सांख्यिकी, गणित, भूगोल, मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान) और समस्त एम. ए. (भाषाओं के अतिरिक्त) के लिए प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में होंगे।

3.समस्त आचार्य के लिए प्रश्न पत्र केवल संस्कृत में होंगे।

4.समस्त भाषाओं के लिए प्रश्न पत्र (संस्कृत के अतिरिक्त) सम्बन्धित भाषाओं में होंगे। एम. ए. (संस्कृत) के लिए प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में होगा।

16. प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की विधि

- (i) परीक्षा के प्रारम्भ में प्रश्न पुस्तिका तथा एक अलग से उत्तर पत्र दिये जायेंगे।
- (ii) प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही परीक्षार्थी को आश्वस्त हो जाना होगा कि उसके प्रश्न पुस्तिका में सभी पृष्ठ मौजूद हैं और कोई प्रश्न छूटा नहीं है। पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को देकर सम्पूर्ण प्रश्न पुस्तिका की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेनी चाहिये।
- (iii) परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर प्रपत्र के निर्दिष्ट स्थान पर केवल स्याही/बाल प्लाइंट पेन से लिखना चाहिये। इसके अतिरिक्त उन्हें अपना अनुक्रमांक उत्तर पत्र के अधोभाग में उपयुक्त वृत्त में केवल नीले/काले बाल प्लाइंट पेन से अंकित करना चाहिये तथा उत्तर पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्याही/बाल पेन से प्रश्नपत्र पुस्तिका संख्या तथा सेट संख्या (यदि हो) अंकित करना चाहिये।
- (iv) परीक्षार्थी को स्याही/बालपेन से अनुक्रमांक एवं प्रश्न पुस्तिका उत्तर पत्र की क्रमसंख्या प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निर्दिष्ट स्थान पर अंकित करना है।

- (v) प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर 1, 2, 3 तथा 4 होंगे। परीक्षार्थी को उनमें जिस एक उत्तर को सही समझता है, उसका चयन करना है। उत्तरपत्र के प्रथम पृष्ठ पर वर्णित निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थी द्वारा उपयुक्त उत्तर को उसके सही वृत्त में नीले / काले बाल प्वाइंट पेन से दर्शाना है। उदाहरण के लिये यदि प्रश्न संख्या 15 के 4 वैकल्पिक उत्तरों (1), (2), (3) तथा (4) में से परीक्षार्थी सही उत्तर के लिये (2) का चयन करता है तो उसे उपयुक्त वृत्त में निम्न प्रकार से दिखाना चाहिये।

प्रश्न संख्या 15



- (vi) यदि परीक्षार्थी एक से अधिक वृत्त को रंगता है तो उसका उत्तर गलत समझा जायेगा तथा यदि वृत्त को काला करने की प्रक्रिया में असमानता है अर्थात् उसके द्वारा प्रत्येक प्रश्नोत्तरों के लिये बनाये गये काले वृत्त में एकरूपता नहीं हैं तो भी गलत उत्तर समझा जायेगा। मार्किंग के लिये अपनायी गयी अन्य विधियाँ, यथा सही का निशान (टिक मार्क), गलत का निशान (क्रास मार्क), बिन्दु का प्रयोग, रेखा का निशान (लाइन मार्क) तथा आधे भरे हुये वृत्त व वृत्त के बाहर बनाये गये मार्क का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- (vii) परीक्षार्थी द्वारा हल न किये जाने वाले प्रश्नों के उत्तर वृत्तों को रिक्त छोड़ देना चाहिये।
- (viii) परीक्षा पुस्तिका के मुख पृष्ठ (आवरण) के पिछले पृष्ठ या परीक्षा पुस्तिका के अंत के स्थान/पृष्ठ पर अस्वच्छ लेखन कार्य (रफ कार्य) के लिये उपयोग में लाया जा सकता है।
- (ix) परीक्षा पुस्तिका के किसी भी पृष्ठ को फाड़ना या हटाना पूर्णतया वर्जित है। यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वह अनुचित साधनों के उपयोग करने की सजा का भागी होगा।
महत्त्वपूर्ण : अभ्यर्थी ध्यान रखें कि चूंकि उत्तर स्याही से दर्शाये जा रहे हैं, अतः एक बार दर्शाये गये उत्तर में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा।

17. प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये निर्देश

- (i) परीक्षार्थी के साथ अपने प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित वैध प्रवेश पत्र अवश्य होनी चाहिये। उसे उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित अपने अनुक्रमांक की सीट पर ही स्थान ग्रहण करना चाहिये।
- (ii) प्रवेश परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
- (iii) परीक्षा समाप्त होने के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा—कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (iv) दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के अतिरिक्त प्रवेश परीक्षाओं में किसी को भी 'लेखक' उपलब्ध कराने अथवा लेखक लाने का कोई प्राविधान नहीं है जिन्हें 'लेखक' निवेदन करने पर ही उपलब्ध कराया जायेगा। (अधिक जानकारी के लिए खण्ड 4 (ii) देखें)।
- (v) किसी भी स्रोत सामग्री की तनिक भी शंका होने पर अचानक कक्ष निरीक्षक द्वारा या परीक्षा संचालन से सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा परीक्षार्थी की जाँच सहसा और बार—बार की जा सकेगी।
- (vi) कैलकुलेटर/वॉच कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, पेजर, मोबाइल फोन, ईयर फोन, अलार्म घड़ी, मेसेंजर वाली डिजिटल घड़ी, स्लाइड रूल, इत्यादि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है। लाइसेंसी हथियार, आग्नेय अस्त्र, प्राणघातक हथियार के रूप में प्रयोग किये जाने वाले औजार को भी परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।
- (vii) परीक्षार्थी द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप करने पर परीक्षार्थी की प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी : परीक्षार्थी के पास अनुचित साधन/सामग्री का पाया जाना या उसके परीक्षा स्थान के आस—पास जमीन पर अथवा सीट के आस—पास अनुचित सामग्री का पाया जाना, या अनाधिकृत सामग्री जैसा (vi) पर दर्शाया गया है/कागज/सूचना सामग्री या किसी भी प्रकार की परीक्षा से सम्बन्धित स्रोत सामग्री रखना, किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक रूप से सूचना का आदान प्रदान करना अथवा प्रश्न—पुस्तिका/ उत्तर पत्र की एक दूसरे के बीच अदला बदली अथवा अनाधिकृत लाभ प्राप्त करने हेतु किसी भी गलत साधनों का प्रवेश परीक्षा के दौरान इस्तेमाल करना, प्रवेश पत्र पर कुछ लिखना, प्रवेश पत्र का लिफाफा संबंधित कागज को परीक्षा—हॉल में ले जाना, अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पुस्तिका एवं ओएमआर प्रपत्र की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन आदि [प्रश्न पुस्तिका में: अनुक्रमांक अंकों एवं शब्दों में, ओएमआर प्रपत्र संख्या तथा ओएमआर प्रपत्र में अनुक्रमांक संख्या, प्रश्न पुस्तिका संख्या एवं सेट संख्या (यदि कोई हो)] जो

- सम्बन्धित कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रमाणित न हो, आवेदन पत्र पर किये गये अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं प्रवेश परीक्षा के समय किये गये अभ्यर्थी के हस्ताक्षरों का मिलान न होने पर।
- (viii) परीक्षार्थी द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप करने पर सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी तथा भविष्य में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के अयोग्य करार कर दिया जायेगा :
- प्रवेश पत्र अथवा छायाचित्र में हेर-फेर, चैहरे का प्रवेश पत्र पर दिये गये फोटोग्राफ से पूर्णतया न मिलना, निर्धारित स्थान पर न बैठना, सीट व्यवस्था को अव्यवस्थित करना, प्रश्न पुस्तिका या उसका कोई भाग अथवा प्रवेश परीक्षा की सामग्री या उससे सम्बन्धित अन्य कोई सामग्री को नष्ट करना या परीक्षा-कक्ष से बाहर या अन्दर ले जाना, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना, प्रवेश परीक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना या व्यवधान उत्पन्न करने की चेष्टा करना, प्रश्नों या उनके उत्तरों को नोट करना, परीक्षा भवन/परीक्षा केन्द्र/विश्वविद्यालय परिसर में नारा लगाना या अव्यवस्था उत्पन्न करना।
- (ix) किसी व्यक्ति का किसी परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देना दण्डनीय अपराध है। किसी भी परीक्षार्थी को बिना वैध प्रवेश पत्र के प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। कक्ष निरीक्षक या अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा माँगे जाने पर प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी की पहचान प्रवेश पत्र पर दिये गये विवरण से की जायेगी। पहिचान संदिग्ध होने पर उसे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। अस्थायी तौर पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अगँठा निशानी/कई बार हस्ताक्षर नमूना लेने और अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् अनुमति दी जा सकेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई समय नहीं दिया जायेगा।
- इसी प्रकार, परामर्श के समय भी उपलब्ध कागजातों से अभ्यर्थी की पहिचान का मिलान विश्वविद्यालय में किया जायेगा और किसी भी प्रकार का सन्देह होने पर उसका/उसकी प्रवेश प्रवेश सम्बन्धी अंतिम निर्णय होने तक स्थगित रहेगा।
- यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी के बदले परीक्षा देता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज कराकर उसे पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया जायेगा, साथ ही उस अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली समस्त प्रवेश परीक्षाओं से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। यदि विश्वविद्यालय का कोई छात्र या कर्मचारी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे क्रमशः निष्कासित या विश्वविद्यालय की सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा।
- (x) सूचना को छिपाना या गुप्त रखना : अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम योग्यताएँ पूरी करता है। यदि किसी स्तर पर यह संज्ञान में आता है कि कोई अभ्यर्थी प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता पूर्ण नहीं करता अथवा उसके विरुद्ध ऐसा कुछ है जो कि उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित करता है अथवा अभ्यर्थी ने कोई गलत सूचना दी है अथवा पूर्व में किसी कदाचार व अनुशासनहीनता या ऐसे किसी कृत्य में संलिप्तता रही हो जो कि कानून दण्डनीय है, की जानकारी नहीं दी है तो उसका आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा तथा यदि प्रवेश हो चुका है तो उसे किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- (xi) प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के अधिकृत प्राधिकारियों के अतिरिक्त किसी को भी परीक्षा केन्द्र के आस-पास घूमने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा कोई अनधिकृत व्यक्ति परीक्षा स्थल के आस-पास घूमता हुआ पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम परीक्षण सूचना (एफ० आई० आर०) दर्ज करा कर उसे पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया जायेगा।
- (xii) किसी भी स्थिति में किसी भी स्तर पर उत्तर-पत्र का पुनरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (xiii) अभ्यर्थी बी०एच०य०० के संविधान/अध्यादेशों/नियमों/उपनियमों से जो समय-समय पर परिवर्तित होते रहते हैं से बाध्य होगा।
- (xiv) प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए स्थानीय वाराणसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का क्षेत्राधिकार होगा।
- (xv) व्याख्या सम्बन्धित किसी भी संदेह या अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में दिया गया विवरण ही मान्य होगा।

18. मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम

मूल्यांकन :

पीईटी में अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा में ऋणात्मक अंक भी होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किये जायेंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1 अंक काट लिये जायेंगे। जिन प्रश्नों को हल नहीं किया जायेगा उन पर 'न्यून्य' अंक दिये जायेंगे।

अभ्यर्थी का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों में योग्यता के क्रम के अनुसार किया जायेगा, बशर्ते वह न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूर्ण करता हो और जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित (विभिन्न श्रेणियों के लिए) सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक क्रमशः 35% एवं 45% होंगे। एम. पी. एड. के लिए लिखित परीक्षा एवं फिजिकल फिटनेस परीक्षण में न्यूनतम अर्हता अंक क्रमशः 35% एवं 45% होंगे। एम. पी. एड. के लिए योग्यता क्रम का निर्धारण तीन भागों यथा, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक, फिजिकल फिटनेस परीक्षण में प्राप्तांक और बोनस प्राप्तांक, जो कि खेलकूद सहभागिता प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), पर आधारित बोनस प्राप्तांक के योग से निर्धारण होगा। स्पोर्ट्स पार्टीसिपेशन के लिए बोनस अंक इस प्रकार होंगे:-

एम. पी. एड. के लिए बोनस अंकों का विभाजन:-

1. राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में स्थान/अन्तरराज्यीय/नेशनल फेडरेशन राष्ट्रीय खेल एवं आई आईओए द्वारा अनुमोदित और संचालित वर्ल्ड/सैफ/कामन वेल्थ गेम्स जैसा कि एआईयू की सत्यापित सूची ।

व्यक्तिगत	टीम	अंक
प्रथम स्थान	प्रथम स्थान	50
द्वितीय स्थान	द्वितीय स्थान	45
तृतीय स्थान	तृतीय स्थान	40
.....	चतुर्थ स्थान	35

2. अन्तर विश्वविद्यालयीय भारतीय प्रतिस्पर्धा

व्यक्तिगत	टीम	अंक
.....	सदस्य, भारतीय विश्वविद्यालय टीम	45
प्रथम स्थान	सदस्य विजयी टीम	40
द्वितीय स्थान	सदस्य रनर-अप टीम	35
तृतीय स्थान	सदस्य तृतीय स्थान टीम	30

3. मण्डलीय/क्षेत्रीय अन्तरविष्वविद्यालयीय प्रतिस्पर्धा में स्थान

व्यक्तिगत	टीम	अंक
.....	सदस्य, विज्जी ट्राफी टीम	20
प्रथम स्थान	सदस्य विजयी टीम	15
द्वितीय स्थान	सदस्य रनर-अप टीम	10

नोट: ऐसा अभ्यर्थी जो आगे दिये हुए खेलकूद में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो:- आईओए द्वारा अनुमोदित खेलकूद/संघ द्वारा आयोजित ओलम्पिक में/विश्व में/एशिया में/कामन वेल्थ गेम में/एसएएफ एवं विश्व यूनिवर्सिटी और एआईयू लिस्ट के अन्तर्गत हो तो सीधा प्रवेश पायेगा, यदि वह अभ्यर्थी प्रवेश की अन्तिम तिथि के पूर्व प्रवेश हेतु आवेदन करता है और अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण हो।

विश्वविद्यालय के पास प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है। यदि एम. पी. एड. में न्यूनतम अर्हता अंकों को शिथिल किया जाता है, तो मेरिट सूची नीचे दिये गये आधार पर बनायी जायेगी:-

- (i) **प्रथमतः:** उन अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में रखा जायेगा, जिनके लिखित परीक्षा में प्राप्तांक, फिजिकल फिटनेस परीक्षण एवं खेलकूद सहभागिता प्रमाण पत्र पर आधारित बोनस अंक (यदि कोई हो) के सम्मिलित के योग, जिन्होंने लिखित परीक्षा तथा फिजिकल फिटनेस परीक्षण में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किये हों। (ii) उसके पश्चात्, उन अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में रखा जायेगा, जिनके लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस परीक्षण एवं खेलकूद सहभागिता प्रमाण पत्र पर आधारित बोनस अंक (यदि कोई हो) में उनके योग के आधार पर जिन्होंने फिजिकल फिटनेस परीक्षण में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक प्राप्त किये हों, लेकिन लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त नहीं किये हैं। (iii) **अंततः:** उन अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में रखा जायेगा, जो लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस परीक्षण एवं खेलकूद सहभागिता प्रमाण पत्र पर आधारित बोनस अंक (यदि कोई हो)

के योग के आधार पर होगा, जिन्होंने फिजिकल फिटनेस परीक्षण में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त नहीं किये हो (लिखित परीक्षा में जो भी अंक प्राप्त किया हो)।

विशेष: उपरोक्त प्रक्रिया सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होगी। इसके साथ ही, वे अभ्यर्थी जो लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा दोनों में सम्मिलित हुए होंगे, पी. ई. टी. में सम्मिलित माने जायेंगे।

इन्टर-से-रैकिंग:- पी. ई. टी. में (सभी पाठ्यक्रमों के लिए) निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:

(अ) अर्हता परीक्षा में अधिक अंक प्रतिशत (मार्क्स) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। ऐसे मामलों में जहाँ अभ्यर्थी स्नातक/स्नातकोत्तर, जैसे भाषा विज्ञान में एम. ए. और जन संचार में एम. ए. अर्ह होंगे, वहाँ परस्पर श्रेणी क्रम का निर्धारण स्नातक स्तर पर प्रस्ताकों के कुलयोग के प्रतिशत के आधार पर की जायेगी।

(ब) ऐसे मामलों में जहाँ अर्हता परीक्षा में अंकों के कुलयोग के प्रतिशत समान हो, तो वहाँ उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जिसके पास सम्बन्धित विषय में उच्च अंक हैं। एमसीए में : ऐसे मामलों में जहाँ अर्हता परीक्षा में भी अंकों का प्रतिशत समान हो तो वहाँ स्नातक स्तर पर गणित विषय रखने वाले अभ्यर्थी को पहले वरीयता प्रदान की जायेगी। यदि वहाँ पर ऐसे अनेक अभ्यर्थी हैं, तो स्नातक स्तर पर गणित विषय में उच्च अंक रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, और ये सभी भी समान हों, तो इंटरमीडिएट या +2 स्तर पर। अन्ततः, ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनके पास + 2 स्तर पर गणित है, परन्तु स्नातक स्तर पर नहीं है, को भी उसी के समान विचार किया जायेगा।

(स) उपरोक्त वर्णित परीक्षाओं में समान अंकों वाले अभ्यर्थियों के मामलों में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

महत्वपूर्ण :

विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में कहीं पर कुछ विरोध होने का उल्लेख होने के बावजूद, किसी भी आधार पर प्रवेश परीक्षाओं के उत्तर/पुस्तिका की जाँच/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। साथ ही, प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन या मूल्यांकित उत्तर पत्र, परीक्षा संचालन तरीका के सम्बन्ध में कोई भी पूछताछ स्वीकार नहीं की जायेगी।

परीक्षा परिणाम :

सम्बन्धित संस्थानों के निदेशक/संकायों के संकाय प्रमुख/विभागों के अध्यक्ष द्वारा प्रवेश हेतु केवल चयनित/प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को ही कौन्सिलिंग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। विश्वविद्यालय प्रयास करेगा कि अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जून, 2010 के तीसरे-चौथे सप्ताह के लगभग घोषित कर दिया जाय, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bhu.ac.in पर उपलब्ध हो सकता है। प्रवेश परीक्षा परिणाम से संबंधित कोई पूछताछ स्वीकार्य नहीं होगा।

19. प्रवेश के समय आवश्यक मूल अभिलेख

यदि किसी अभ्यर्थी को किसी विशेष तिथि/तिथियों पर किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आमन्त्रित किया जाता है, तो उसे नीचे वर्णित समस्त अभिलेखों की मूल प्रति अपने साथ लाना होगा, जिसे न लाने पर उसका प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा (आमन्त्रण पत्र में विस्तृत जानकारी दी जायेगी)।

- स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
- प्रवजन प्रमाण पत्र, यदि का.हि.वि.वि के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो (जिसे प्रवेश के 90 दिनों के अन्दर जमा करना होगा)।
- हाईस्कूल प्रमाण पत्र/समकक्ष प्रमाण पत्र।
- इंटरमीडिएट (+2) प्रमाण पत्र/समकक्ष प्रमाण पत्र।
- हाईस्कूल / समकक्ष और इंटरमीडिएट (+2)/समकक्ष के अंक पत्र।
- अर्हता परीक्षा का अंक पत्र (नीचे वर्णित खण्ड 20 देखें)।

- (vii) परीक्षा नियंता कार्यालय, का.हि.वि.वि द्वारा जारी पीईटी प्रवेश पत्र।
- (viii) अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०जा० प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर आरक्षण मॉग किया गया हो।
- (ix) का.हि.वि.वि के स्थायी सेवा के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का 'केन्द्रीय रजिस्ट्री' द्वारा निर्धारित पद्धति में जारी प्रमाण पत्र।
- (x) 'खेल सीटों के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र(त्रों)।

20. प्रवेश प्रक्रिया

किसी पाठ्यक्रम में किसी अभ्यर्थी का प्रवेश केवल तभी होगा जब वह समस्त आवश्यक अर्हताओं को पूरा करता हो, स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो तथा प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो तथा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु समस्त निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण करता हो। प्रवेश कार्य पूर्णतया स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यताक्रमों, पाठ्यक्रम में सीटों की उपलब्धता, इस सूचना पुस्तिका में दिये गये नियमों तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित नियमों के आधार पर ही किया जायेगा।

पीईटी का परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेश-प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। प्रवेश की प्रक्रिया सम्बन्धित विभाग की प्रवेश समिति द्वारा की जायेगी। संबद्ध विभागों के अध्यक्ष/समन्वयक परामर्श हेतु अभ्यर्थियों को आमन्त्रण पत्र भेजेंगे। किसी भी पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थानों की संख्या से बुलावा पत्रों की संख्या लगभग 2-4 गुना होगी। प्रवेश परीक्षा में अर्जित योग्यताक्रम सूचकांक के आधार पर ही प्रवेश किये जायेंगे। अभ्यर्थी के पास उपरोक्त वर्णित समस्त मूल अभिलेख अवश्य होनी चाहिए। गोपनीय अंकपत्र व अस्थायी परीक्षा परिणाम के आधार पर कोई भी प्रवेश नहीं किया जायेगा, जब तक कि परीक्षा परिणाम की आधिकारिक घोषणा के बाद मूल अंक पत्र प्रवेश परीक्षा के समय प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत न कर दिया जाय। प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित समय सीमा के अन्दर शुल्क न जमा करने पर आवंटित प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी पाठ्यक्रम में अस्थायी प्रवेश हेतु परामर्श के लिए बुलाया गया है, परन्तु उनके अर्हता परीक्षा के परिणाम परामर्श की तिथि तक घोषित नहीं हुए हैं, को भी निम्नलिखित शर्तों के साथ पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु अनुमति दी जायेगी:

(i) वे सक्षम अधिकारी (जैसे: परीक्षा नियंता, कुलसचिव, इत्यादि) से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि निर्धारित अर्हक परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है।

(ii) अर्हक उपाधियों के पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पूर्व परीक्षा(ओं) के अंक पत्र(त्रों) से यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी ने अर्हता उपाधि में न्यूनतम प्रस्तांक प्रतिशत अंक (जैसे 50%) प्राप्त किये हैं (अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जिसका परिणाम परामर्श की तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, को छोड़कर 50%) (यह अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आवश्यक नहीं है)।

(iii) अभ्यर्थी को एक शापथ पत्र देना पड़ेगा कि वह अर्हता परीक्षा का अंकपत्र प्रवेश वर्ष के 14 अगस्त या उसके पूर्व जमा कर देगा और यदि वह प्रवेश वर्ष की 14 अगस्त या उसके पूर्व मूल अंकपत्र जमा करने में असफल होता / होती है, तो उसका संशर्त प्रवेश स्वयं ही निरस्त हो जायेगा और वह अभ्यर्थी शुल्क वापसी हेतु कोई दावा नहीं करेगा / करेगी। यह छूट पूरक परीक्षाओं/पुर्णमूल्यांकन परीक्षाफल हेतु लागू नहीं है।

इसके अतिरिक्त, यदि उसका अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों के कुलयोग में प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों से कम हो तो भी उसका/उसकी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा और अभ्यर्थी शुल्क वापसी हेतु कोई दावा नहीं करेगा / करेगी।

21. स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पीईटी) 2010 का कार्यक्रम

(प्रत्येक विषय के लिए अलग प्रश्न पत्र होंगे)

समस्त प्रवेश परीक्षाएँ प्रत्येक निर्धारित तिथि पर प्रातः 8.00 बजे प्रारम्भ होगी।

दिन	दिनांक	पाठ्यक्रम
गुरुवार	20.05.2010	एम. एससी. (कृषि), मास्टर आफ एग्री-बिजनेश मैनेजमेंट, एम. एससी. (कृषि) स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन, एम. एससी. (कृषि) एग्रोफॉरेस्ट्री, एम. एड., एलएल. एम. और एम. ए. प्रयोजनमूलक हिन्दी (पत्रकारिता)
शुक्रवार	21.05.2010	एमसीए, एम. एड. (स्पेशल) वी.आई.
शनिवार	22.05.2010	एम. ए. मास कम्पूनिकेशन, एम.एससी. एप्लाइड माइक्रोबायोलाजी
सोमवार	24.05.2010	एम. एससी. बायोइन्फार्मेटिक्स, एम. ए. टूरिज्म मैनेजमेंट
मंगलवार	25.05.2010	एम. ए. कॉन्फिलक्ट मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट
बुधवार	26.05.2010	एम. लिब. एण्ड आई. एससी., एमसीए एग्री-बिजनेश
सोमवार	31.05.2010	एम. ए.: अरबी, बंगाली, हिन्दी, मराठी, परशियन, पाली, संस्कृत, तेलगू, उर्दू, नेपाली, अंग्रेजी, फांसीसी, आई.पी.आर., जर्मन एम. ए.: अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र एम. एससी. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, संगणक विज्ञान, एम. एससी. (टेक.) भू-गर्भ विज्ञान/एम. एससी. पेट्रोलियम जीओ साइंसेज
मंगलवार	01.06.2010	एम. ए. : ए.आई.एच.सी. एण्ड आर्क., कला इतिहास, दर्शनशास्त्र, भाषा विज्ञान एम. एससी. (टेक.) भू-भैतिकी एम. एससी :- जैवरसायन, स्वास्थ्य सांख्यिकी
बुधवार	02.06.2010	एम. ए. / एम. एससी. : भूगोल, गणित, सांख्यिकी, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, एम. कॉम. एम.एफ.ए., एम. म्यूज-कंठ संगीत, वाद्य संगीत एवं नृत्य (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल*), आचार्य, एम. ए. म्यूजिओलॉजी
गुरुवार	03.06.2010	एम.पी.एड. (थ्योरी), एम. म्यूजिकोलॉजी (थ्योरी एण्ड प्रैक्टिकल*), मास्टर आफ फाइनेन्स एण्ड कन्ट्रोल (एम.एफ.सी) मास्टर आफ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एण्ड प्रोमोशन (एमईएमपी), मास्टर आफ रिस्क एण्ड इंस्योरेन्स मैनेजमेंट (एमआरआईएम), एलएल. एम. (एचआरडीई), एम. टेक. एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग (स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन इंजीनियरिंग)
शुक्रवार	04.06.2010	एम.पी.एड. (फिजिकल फिटनेस टेस्ट)** एम. एससी. फूड साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, मास्टर आफ परसोनेल मैनेजमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन्स
शनिवार	05.06.2010	एम. ए. सामाज कार्य, एम.एससी. मालीक्यूलर एण्ड ह्यूमन जेनेटिक्स
सोमवार	07.06.2010	एम. ए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एम. एससी. प्लांट बायोटेक्नोलॉजी
मंगलवार	08.06.2010	एम. एससी. पर्यावरण विज्ञान
बुधवार	09.06.2010	एम. एससी. (टेक.) पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

* एम. म्यूज., एम म्यूजिकोलाजी (कंठ) / वादन एवं नृत्य के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा 2-3 दिन तक चल सकती है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे तदनुसार तैयारी के साथ आवें। संबद्ध संकाय से संपर्क कर प्रयोगात्मक परीक्षा का समय सुनिश्चित कर लें।

** लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थीगण, इस लिखित परीक्षा के बाद परीक्षा केन्द्र से फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में विवरण प्राप्त कर लें।

व्याख्या से सम्बन्धित किसी प्रकार के संदेह एवं अस्पष्टता की स्थिति में सूचना पुस्तिका में अंग्रेजी भाषा में दिया गया विवरण ही सही मान्य होगा।